सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं शासन सचिव, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर), राजस्थान, जयपुर

प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2016-17

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302 005

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमो के उद्यमियता ज्ञापन जारी करना	2
2.	औद्योगिक उद्यमियता ज्ञापन	2
3.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	3
4.	मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना	4
5.	भामाशाह रोजगार सृजन योजना	4
6.	हाथकरघा	5
	(I) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना	5
	(II) उत्पाद विविधीकरण योजना	6
	(III) बुनकर पुरस्कार योजना	7
7.	हस्त शिल्प विकास योजनाऐ	7
	(I) आर्टीजन परिचय पत्र	7
	(II) ब्याज अनुदान योजना	7
	(III) शिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजना	8
	(IV) राज्य में हस्तशिल्प विकास	8
8.	औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर	9
9.	राजस्थान एन्टरप्राईजेज सिंगल विण्डो एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेन्स अधिनियम, 2011	10
10.	उद्यम स्थापित करने प्रक्रियाओं का सरलीकरण	10
11.	मानव संसाधन विकास कार्यक्रम	11
	(I) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसबीईडीपी)	11
	(II) उद्यमियता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (ई.डी.पी.)	11
	(III) तकनीकी उन्न्यन प्रशिक्षण कार्यक्रम (टैक्नीकल अपग्रेडेशन)	12
12.	विशिष्ट वर्ग हेतु योजनाऐं	12
	(I) गृह उद्योग योजना (महिलाओं के लिये)	12
	(II) चर्म प्रशिक्षण	12
	(III) राजस्थान चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना, 2012	13
	(IV) अल्पसंख्यक कल्याण योजना (15 सूत्रीय कार्यक्रम)	13
13.	कलस्टर विकास	14
14.	लघुत्तम, लघु एवं मध्यम उद्योगो के लिए सहायता पैकेज	15
15.	राजस्थान सूक्ष्म लघु उद्यम सुविधा परिषद	15
16.	सिरेमिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला, बीकानेर	16
17.	फर्मो का पंजीयन	17

18.	बाट व माप (विधिक माप विज्ञान)	18
19.	उद्यम प्रोत्साहन संस्थान	19
	(I) अरबन हाट	20
	(II) ग्रामीण हाट	21
	(III) तकनीकी उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम	21
20.	असिस्टेन्स टू स्टेटस फार डवलमेन्ट ऑफ एक्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर अलायट एक्टिविटिज (असाईड योजना)	22
21.	निर्यात	22
	निर्यात प्रोत्साहन	23
	नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलोजी" (NIFT) की स्थापना	24
22.	राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2010	24
23.	राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014	25
24.	नमक उद्योग	27
25.	लवण श्रमिक कल्याण योजना	28
26.	टैक्सटाईल से संबंधित योजनाएं	30
27.	खाद्य प्रसंस्करण मिशन–2012	32
28.	कारपोरेट एवं सामाजिक दायित्व (सीएसआर)	33
29.	जिला उद्योग केन्द्रों में नये निर्माण/नवीनीकरण कार्य	35
30.	राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विपणन प्रोत्साहन (मार्केटिंग)	36
31.	ऋण ब्याज वसूली	37
	परिशिष्ठ	
1.	परिशिष्ठ–1 स्वीकृत पदों का विवरण	38
2.	परिशिष्ठ–2 बजट वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17	41
3.	परिशिष्ठ–3 विभागीय योजनाओं की प्रगति वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17	42
4.	परिशिष्ठ–5 प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्रवार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ वर्ष 2014–15	43
5.	परिशिष्ठ–6 प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्रवार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ वर्ष 2015–16	45
6.	परिशिष्ठ–4 प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्रवार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ वर्ष 2016–17 (माह दिसम्बर, 2016 तक)	47

कार्यालय आयुक्त उद्योग, राजस्थान प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2016–2017 (दिसम्बर, 2016 तक)

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किसी भी राज्य के आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों कृषि, उद्योग एवं सेवा में से उद्योग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य के ओद्योगिक वातावरण का विकास स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग, परम्परागत दस्तकारों के कौशल, उत्पादकता में सुधार, बुनियादी ढाचें के लिए समुचित प्रावधान,राज्य में उद्यमियों को निवेश हेतु आकर्षित करने हेतु दीर्घकालीन राजकोषीय एवं निवेश प्रोत्साहन नीति के साथ उद्योगों को वित्तीय सहायता पर निर्भर है। तीव्र औद्योगीकरण के लिए राज्य में आधारभूत संरचना के साथ राज्य सरकार की सहायता, सहयोग एवं मार्गदर्शन की महत्ती आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के दृष्टिगत राज्य में उद्योग, हस्तशिल्प, हाथकरघा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों के द्रुतगति से विकास करने इन्हें मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहायता व सुविधाऐं प्रदान करने हेतु कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग कार्यरत है।

आयुक्त उद्योग विभाग द्वारा मुख्य रुप से राज्य में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन, इनके उत्पादों के विपणन में सहायता, क्लस्टर विकास, नमक क्षेत्रों का विकास, हस्तशिल्पियों कारीगरों व दस्तकारों का विकास, हथकरघा विकास तथा उपभोक्ता हितों के संरक्षण की दृष्टि से सही माप व तौल की सुनिश्चितता हेतु बाट व माप अधिनियम का क्रियान्वयन आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत 30 सितम्बर, 2016 से बाट व माप अधिनियम योजना खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान उपभोक्ता मामलात विभाग को हस्तानान्तरित कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा स्वरोजगार हेतु क्षमता में वृद्वि के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने, परम्परागत हस्तशिल्प, दस्तकारी, शिल्पकारी एवं हाथकरघा आदि हुनरों को जीवन्त रखकर प्रोत्साहित करने तथा इनमें आधुनिकता के सम्मिश्रण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं सहायता उपलब्ध कराने का कार्य भी किया जा रहा है।

इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आयुक्त, उद्योग विभाग राज्य में भागीदारी फर्मों के पंजीयन हेतु रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का कार्य भी सम्पादित करता है। सभी महाप्रबन्धक,जिला उद्योग केन्द्र सहायक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के रुप में कार्य करते है। विभाग द्वारा राज्य में न केवल रोजगार के अवसरों में वृद्वि के लिए नये उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु मुंख्यालय एवं जिला स्तर पर स्थापित औद्योगिक मार्गदर्शन ब्यूरों के माध्यम से सभी प्रकार का मार्गदर्शन एवं परामर्श दिया जाता है, बल्कि अन्य विभागों से समन्वय कर अनापत्ति/सहमति की सुविधा भी उपलब्ध करवायी जा रही है। जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से उद्यमियों को राज्य में उद्योग स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन, सहायता एवं सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है। अगस्त, 2016 से सुजानगढ़ (चूरू) में एक नया उपकेन्द्र खोला गया है।

वर्तमान में राज्य में 36 जिला उद्योग केन्द्र एवं 8 उपकेन्द्र ब्यावर, फालना, आबूरोड़, बालोतरा, मकराना, किशनगढ़, नीमराना एवं सुजानगढ़ कार्यरत हैं।

राज्य में 18.09.2015 से उद्यमियता ज्ञापनों की जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी की जाने वाली अभिस्वीकृतियों के स्थान पर भारत सरकार द्वारा उद्योग आधार अभिज्ञापन जारी करने की व्यवस्था ऑनलाइन की गई है।

विभाग द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास हेतु विभिन्न योजनाऐं/कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है जिनका विवरण अग्रलिखित है :-

1. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमो के उद्यमियता ज्ञापन जारी करना

आयुक्त, उद्योग विभाग के अधीनस्थ संचालित जिला उद्योग केन्द्रों में एमएसएमई अधिनियम, 2006 के तहत ऐसे उद्यमी जो एक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित करना चाहते है अथवा सेवा प्रदाता के रूप मे कार्य करना चाहते है उन्हें जिला उद्योग केन्द्रों मे मेमोरेण्डम पार्ट प्रथम तथा पूर्व मे स्थापित एवं कार्यरत उद्यमो को पार्ट द्वितीय दाखिल करना होता है। उद्यमी को उद्यम के स्थापना उपरान्त प्रस्तुत ज्ञापनो पर आवेदन प्राप्त होने पर ज्ञापन की अभिस्वीकृतियाँ जारी की जाती रही हैं।

राज्य में **18.09.2015 से** उद्यमियता ज्ञापनों की जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी की जाने वाली अभिस्वीकृतियों के स्थान पर भारत सरकार द्वारा **उद्योग आधार अभिज्ञापन** जारी करने की व्यवस्था ऑनलाइन की गई है।

वर्ष 2014–2015 में 18,655 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों को स्थापनोपरांत एमएसएमई उद्यमो द्वारा प्रस्तुत उद्यमियता ज्ञापनों की अभिस्वीकृतियाँ जारी की गई, जिनमें 2,513.64 करोड रुपये का विनियोजन एवं 91,831 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ हुआ है।

वर्ष 2015–2016 में **38339** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर उद्यमियता ज्ञापनों की अभिस्वीकृतियाँ जारी की गई, जिनमें **6291.61** करोड रुपये का पूंजी विनियोजन एवं **2,28,840** व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

वर्ष 2016–2017 में **दिसम्बर, 2016 तक** 60,960 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों को एमएसएमई उद्यमों द्वारा प्रस्तुत उद्यमियता ज्ञापनों की ऑन लाईन अभिस्वीकृतियाँ जारी की गई, जिनमें **10,332.88** करोड़ रुपये का विनियोजन एवं **3,82,366** व्यक्तियों को रोजगार के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

2. औद्योगिक उद्यमियता ज्ञापन

राज्य में वृहद उद्योगों की स्थापनार्थ वर्ष 2013–14 में 119 ज्ञापन प्रस्तुत किये गये जिनमें 22836.00 करोड रूपये का पूंजी निवेश प्रस्तावित किया गया।

वर्ष **2014–15** में **80** ज्ञापन प्रस्तुत किये गये, जिनमें 6913.00 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश प्रस्तावित किया गया।

वर्ष **2015–16** में **80** ज्ञापन प्रस्तुत किये गये, जिनमें **6715.00** करोड़ रूपये का पूंजी निवेश प्रस्तावित हैं।

वर्ष **2016–17** में **माह दिसम्बर, 2016 तक 78** ज्ञापन प्रस्तुत किये गये, जिनमें **5077.00** करोड़ रूपये का पूंजी निवेश प्रस्तावित हैं।

3. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 से उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड व खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को सम्मिलित करते हुये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक नवीन योजना वर्ष 2008–09 से प्रारम्भ की थी।योजना का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योग एवं औधोगिक व सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार के नये अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय स्तर पर योजना की कियान्वयन एवं नोडल एजेन्सी खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई है। योजना की प्रमुख विशेषताऐं निम्नांकित है :–

1- कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, योजनान्तर्गत लाभ उठा सकता है।

2- आवेदक की पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा संबंधित प्रावधान नहीं है।

3- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा– निर्देशों के अधीन रू 10.00 लाख तक के प्रोजेक्ट्स पर कोलेटरल सिक्योरिटी (प्रतिभूति) का प्रावधान नहीं हे।

4- व्यापार एवं सेवा क्षैत्र में अधिकतम् रू0 10.00 लाख तथा उद्योग क्षैत्र में अधिकतम् रू. 25.00 लाख रूपये तक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

5- योजनान्तर्गत ऋण लेने हेतु कोपरेटिव सोसायटीज, चेरिटेबल ट्रस्ट, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में पंजीकृत संस्थान एवं स्वयं सहायता समूह भी पात्र है।

6- बैंक की प्रचलित दर पर ब्याज देय होगा तथा ऋण अदायगी की अवधि 3 से 7 वर्ष होगी।

7- सामान्य वर्ग के पुरूषो हेतु शहरी क्षैत्र में परियोजना लागत का 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षैत्र में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान देय है। एस.सी./एस.टी. /ओ.बी.सी/अल्पसंख्यकों/किसी भी जाति की महिला/.भू.पू.सैनिक विकलांग श्रेणी से संबंधित प्रार्थी को शहरी क्षैत्र में 25 प्रतिशत ग्रामीण क्षैत्र में 35 प्रतिशत अनुदान देय है।

8- योजनान्तर्गत आरक्षण का प्रावधान नहीं है, परन्तु योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्ग को अधिक से अधिक लाभान्वित करना है।

9- योजनान्तर्गत प्रति एक लाख के विनियोजन पर एक रोजगार का सृजन किया जायेगा।

योजनान्तर्गत वर्ष 2014–2015 में जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से 1053 इकाईयॉ स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था जिनमे से 1238 आवेदको/इकाईयों को उद्यम स्थापित किये जाने पर सबंधित क्षेत्र के बैको द्वारा ऋण दिया गया तथा 2917.04 लाख रू. का अनुदान दिया गया।

योजनान्तर्गत वर्ष 2015–2016 में जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से 1053 इकाईयॉ स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था जिनमें से 1720 इकाइयों को ऋण की प्रथम किश्त का वितरण कर 1319 आवेदको/इकाईयों को

उद्यम स्थापित किये जाने पर सबंधित क्षेत्र के बैको द्वारा ऋण दिया गया तथा 2512.04 लाख रू. का अनुदान दिया गया।

योजनान्तर्गत वर्ष 2016–2017 में जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से 1100 इकाईयॉ स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है जिनमें से माह दिसम्बर 2016 तक 610 आवेदकों को ऋण की प्रथम किश्त 1071.43 लाख रूपये का वितरण किया गया एवं 389 आवेदको/इकाईयों को उद्यम स्थापित किये जाने पर सबंधित क्षेत्र के बैको द्वारा ऋण तथा 764.24 लाख रूपये का अनुदान (मार्जिन मनी) दिया गया।

मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना–2013

पूर्व में प्रचलित मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना–2010 को संशोधित कर चालू वित्तीय वर्ष हेतु मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना –2013 प्रारंभ की गयी थी। यह योजना केवल 1 वर्ष ही प्रभावी रही एवं इसके बाद जिन व्यक्तियों को ऋण वितरित किया गया था उन्हें अगामी 5 वर्षों तक ब्याज अनुदान देय होगा।

इस योजना का उद्देश्य अकृषि क्षेत्र सूक्ष्म उद्यम (उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय) को व्यवहार्य आधार पर स्थापित कर रोजगार के नवीन अवसर सृजित कराना था। योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा व व्यवसाय क्षेत्र में नवीन उद्यम की स्थापना, स्थापित उद्यम के आधुनिकीकरण, विस्तार, विविधिकरण के प्रयोजन हेतु बैंकों के माध्यम से अधिकतम 10 लाख रू. तक ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान था। योजनान्तर्गत बैंक ऋण का समय पर चुकारा करने पर बैंक ऋण पर अधिकतम 5 वर्ष हेतु 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान था।

योजनान्तर्गत वर्ष **2013–14** में 6814 परियोजनाओं को लाभान्वित किया गया। जिनका वित्तीय लक्ष्य 60.19 लाख रु, वर्ष **2014–15** में उक्त योजना में भौतिक लक्ष्य नहीं दिये गये है जिसका वित्तीय खर्च 386.07 लाख रु रहा एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में वित्तीय खर्च 534.05 लाख रु है। वित्तीय वर्ष **2016–17** में माह दिसम्बर 2016 तक 405.81 लाख रु का व्यय हुआ है।

भामाशाह रोजगार सृजन योजना

राज्य सरकार अपने सुराज संकल्प–2013 के बिन्दु संख्या 4.45, 5.04, 5.24 एवं 13.09 के माध्यम से राज्य के पंजीकृत बेरोजगार नवयुवकों, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु कृतसंकल्पित है अतः लक्षित वर्ग को स्वरोजगार हेतु बैंकों से कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता को देखते हुए सुराज संकल्प–2013 के उपरोक्त बिंदुओं में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ब्याज अनुदान आधारित यह योजना प्रारम्भ की गई है ।

योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि क्षेत्र पर निर्भरता को कम करने हेतु अकृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम, (उद्योग, सेवा एवं व्यापार) को व्यवहार्य आधार पर स्थापित कर स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के नवीन अवसर सृजित करना है, जिससे न केवल समग्र विकास के लक्ष्य की प्राप्ति सुगम होगी अपितु रोजगार हेतु शहरों की ओर बढ़ते पलायन पर अंकुश लगेगा । प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लाभान्वित व्यक्तियों को भी जो योजना की शर्तों को पूर्ण करेगें इस योजना में लाभ देते हुए 4 प्रतिशत ब्याज सहायता का लाभ दिया जायेगा।

योजना की कालावधि **13 दिसम्बर, 2015 से 31 मार्च 2020** है। राज्य सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ऋण उपलब्ध करवाकर सूक्ष्म उद्यम, (उद्योग, सेवा एवं व्यापार) को प्रदत्त ऋण पर 4% ब्याज अनुदान दिया जायेगा। पंजीकृत बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार महिला, अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति एवं विशेष योग्यजन को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र हेतु रू. 5 लाख तक तथा उद्योग क्षेत्र हेतु रू. 10 लाख तक एवं अन्य महिला वर्ग को सेवा, व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र के लिए रू. 2 लाख तक का ऋण देने का प्रावधान रखा गया है। योजना में पात्रता हेतु आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष हो तथा आवेदक के परिवार में कोई भी सदस्य केन्द्रीय/राजकीय रोजगारमूलक अनुदान योजना में विगत 5 वर्ष में लाभान्वित नहीं होना चाहिए। परिवार के सदस्य किसी भी वित्तीय संस्थान के दोषी नहीं होना चाहिए तथा परिवार की वार्षिक आय छः लाख रू. से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैक शाखाओं द्वारा वित्त पोषित किये जाने वाले उद्योग/सेवा/व्यापार के नये उपक्रमों को योजना के लाभों हेतु पात्र माना जावेगा ।

योजनान्तर्गत 5 वर्ष में लगभग 50000 व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा जिसमें अनुमानित कुल 230.97 करोड़ रुपये का अनुदान दिये जाने संभावना है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 7012 आवेदकों को योजनान्तर्गत 6571.02 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में 11000 उद्यमियों का ऋण दने के सापेक्ष माह दिसम्बर 2016 तक 3525 इकाइयों को ऋण स्वीकृत कर 2991 इकाइयों को 4424.00 लाख रुपये का ऋण वितरिण किया गया है।

6. हाथकरघा

राजस्थान में हाथकरघा उद्योग एक प्रमुख उद्योग है। राज्य में हाथकरघा के विकास हेतु कार्यालय आयुक्त, उद्योग नोडल विभाग है। हाथकरघा विकास हेतु हाथकरघा विकास निगम, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संध कार्यरत है।

विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही निम्नांकित हाथकरघा विकास संबंधी मुख्य योजनाओं की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:–

(I) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना

विकास आयुक्त (हाथकरघा) भारत सरकार, नई दिल्ली ने पत्र दिनांक 19.09.2005 से पूर्व प्रचलित बुनकर बीमा (जनश्री बीमा एवं समूह बीमा) योजना को बंद करते हुए इसके स्थान पर **"महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना"** भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से आरम्भ की है।

योजना के उद्धेश्य

इस योजना का मूल उद्धेश्य हाथकरघा बुनकरों की स्वाभाविक मृत्यु के साथ–साथ दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में बीमा कवर एवं उच्चतम बीमा राशि प्रदान करना है।

पात्रता

1. बुनकर हाथकरधा बुनाई से अपनी आय का कम से कम 50 प्रतिशत अर्जित करता हो।
2. 18 से 59 वर्ष के आयुवर्ग के बीच के सभी बुनकर चाहे महिला हो या पुरुष इस योजना में शामिल है।

3. सहकारी समिति के नियमित सदस्य एवं 180 दिन बुनाई का कार्य किया हो।
4. सहकारी समितियों से बाहर के बुनकर लेकिन पात्रता शर्ते पूरी करने के सम्बन्ध में हाथकरघा प्रभारी का प्रमाण पत्र अनुसार।
5. राज्य के हाथकरघा विकास निगम के सम्बद्ध बुनकर।

लाभ :

1. सदस्य की प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में 60000 रूपये नामित को देय ।
2. दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 150000 रूपये देय ।
3. दुर्घटना के कारण स्थायी अपंगता पर 150000 रूपये देय।
4. दुर्घटना के कारण एक ऑख और एक अंग भंग की क्षति पर 75000/–रूपये देय।
5. शिक्षा सहयोग हेतु 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले प्रति छात्र 300/– रूपये प्रति तिमाही प्रति छात्र को देय।

प्रीमियम

1. भारतीय जीवन बीमा निगम अंशदान	100/–
2. भारत सरकार का अंशदान	150/–
3. राज्य सरकार का अंशदान (वर्ष 2012–13 से देय)	40/–
4. बुनकर का अंशदान	40/–
कुल अंशदानः–	**330/–**

लाभार्थी का अंशदान प्राप्त होते ही बीमा कवरेज प्रारम्भ हो जाता है।

वर्ष 2014–15 मे 3550 के लक्ष्य के विरूद्व 2769 बुनकरों को लाभान्वित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में 4000 के लक्ष्य के विरूद्व 2722 बुनकरों को लाभान्वित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में 4350 के लक्ष्य के विरूद्व दिसम्बर, 2016 तक 795 बुनकरों को लाभान्वित किया गया।

(II) उत्पाद विविधीकरण योजना

हाथकरघा बुनकरों की डिजायन एवं टैक्नीकल उत्पादों एवं उत्पादन क्षमता के विकास हेतु योजनान्तर्गत देश के अन्य राज्यों में कार्यरत हाथकरघा इकाइयों के अवलोकन हेतु राज्य सरकार के व्यय पर बुनकरों को भेजा जाता है।

वर्ष 2014–2015 में 25 बुनकरों का एक दल आंध्र प्रदेश की यात्रा पर भिजवाया गया है।

वर्ष 2015–16 मे राज्य से 18 बुनकरों का एक दल जिला उद्योग केन्द्र, कोटा के माध्यम से उडीसा राज्य की यात्रा पर भिजवाया गया।

वर्ष 2016–17 मे राज्य से 25–25 बुनकरों के दो दल जिला उद्योग केन्द्र, नागौर एवं राजसमन्द के माध्यम से क्रमशः मध्यप्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य की यात्रा पर भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

(III) बुनकर पुरस्कार योजना

राज्य सरकार द्वारा राज्य के कुशल बुनकरों/सहकारी समितियों को उनके द्वारा उत्पादित उत्कृष्ट उत्पादों एवं गतिविधियों को पहचान व सम्मान दिलाने के लिए जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर नकद पुरस्कार दिये जाने की योजना 2005–06 से प्रारंभ की गई।

बुनकर पुरस्कार हेतु जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर दी जाने वाली राशि को बढ़ा दिया गया है। नवीन दरें निम्नानुसार से है :–

जिला स्तर		राज्य स्तर
प्रथम	– 5100/– रू.	21,000/– रू.
द्वितीय	– 3100/– रू.	11,000/– रू.
तृतीय	– 2100/– रू.	7,000/– रू.
सांत्वना	– 1100/– रू.	3,100/– रू.

वर्ष 2014–15 में बुनकर पुरस्कार योजना हेतु 4.00 लाख रू. का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 1.40 लाख रू. का उपयोग कर बुनकरों को नगद पुरस्कार का वितरण किया गया।

वर्ष 2015–16 में 4.00 लाख रू. का बजट का प्रावधान किया गया, जिसमें से 2.74 लाख रूपये बुनकर पुरस्कार का वितरण कर व्यय किया गया।

वर्ष 2016–17 में 4.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया था, इसमें 2.20 लाख रूपये का उपयोग कर 65 बुनकरों को पुरस्कार दिया गया।

7. हस्तशिल्प विकास योजनाएँ

(I) आर्टीजन परिचय पत्र

विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार की इस योजना में राज्य में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से हस्तशिल्पियों का परिचय पत्र जारी कर उनका पंजीकरण किया जाता है। तदुपरान्त उनको भारत सरकार के कार्यक्रमों, योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हे लाभ प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2014–15 में 5000 के लक्ष्य के विरूद्ध 3046 हस्तशिल्पियों को परीचय पत्र जारी कराये गये।

वर्ष *2015–16* में *2500* के *लक्ष्य* के *विरूद्ध* *861* *हस्तशिल्पियों* को परिचय पत्र जारी कराये गये।

वर्ष 2016–17 में माह दिसम्बर, 2016 तक 4034 आर्टिजन्स को परिचय पत्र जारी कराये गये।

(II) ब्याज अनुदान योजना

राज्य सरकार की इस योजना में टाईनी सेक्टर की हस्तशिल्प इकाईयां जो कि जिला उद्योग केन्द्रों में पंजीकृत हों तथा जिन्होने वित्तीय संस्थानों/बैंकों से हस्तशिल्प उत्पाद निर्माण हेतु (कच्चा माल, टूल्स, मशीनरी) अधिकतम 2.00 लाख रूपये का ऋण लिया हो पात्र होंगी। योजनान्तर्गत शिल्पी द्वारा वित्तीय वर्ष में चुकाये गये

ब्याज पर 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होता है। यह योजना आर्टीजन क्रेडिट कार्ड से जोडी गई है ताकि आर्थिक दृष्टि से कमजोर शिल्पियों को ब्याज अनुदान का लाभ मिल सके। यह योजना वर्ष 2012–13 तक प्रभावी थी। वर्ष 2012–13 में माह मार्च 2013 तक 386 सामान्य को 9.90 लाख रू. एवं 119 अनु.जाति को 2.57 लाख का ब्याज अनुदान भुगतान किया जा चुका है। पिछले वर्षो के देयताओं के विरूद्ध वर्ष 2013–14 में 206 सामान्य को 3.84 लाख रू. एवं 17 अनु.जाति को 0.32 लाख रूपये का ब्याज अनुदान भुगतान किया जा चुका है।

वर्ष 2014–15 में 169 सामान्य को 5.51 लाख रूपये, अनु0 जाति के 230 व्यक्तियों 5.76 लाख रू का ब्याज अनुदान दिया गया।

वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर 2015 तक 183 सामान्य को 3.13 लाख रू तथा 34 अनु0 जाति को 0.74 लाख रूपये का ब्याज अनुदान दिया गया।

(III) <u>शिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजना</u>

राज्य के कुशल शिल्पियों को राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय हस्तशिल्प प्रदर्शनियों में भाग लेने पर दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता एवं स्टाल शुल्क में रियायत हेतु यह योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है। योजनान्तर्गत शिल्पी को द्वितीय श्रेणी का यात्री किराया एवं राज्य में प्रदर्शनी में भाग लेने पर 350 रू. एवं राज्य से बाहर 450 रू. प्रतिदिन दैनिक भत्ता देय है। स्टॉल शुल्क में 50 प्रतिशत रियायत अधिकतम 4,500 प्रदान की जाती है।

वर्ष 2014–15 में सामान्य मद में 167 शिल्पियों को 21.24 लाख रू. का एवं अनु. जाति मद में 14 शिल्पियों को 1.37 लाख रू. का लाभ दिया गया तथा अनु.जनजाति मद में 01 शिल्पी को 0.31 लाख का लाभ दिया गया है।

2015–16 में दिसम्बर 2015 तक सामान्य मद में 100 शिल्पियों को 8.65 लाख रू. एवं अनु.जाति मद में 18 शिल्पियों को 2.82 लाख रू. का लाभ दिया गया है।

(IV) <u>राज्य में हस्तशिल्प विकास</u>

राजस्थान के आर्थिक विकास में हस्तशिल्प अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य का हस्तशिल्प विश्वविख्यात है। यह क्षेत्र स्थानीय लोगों को रोजगार ही नहीं प्रदान करता बल्कि इससे विदेशी मुद्रा भी राज्य को प्राप्त होती है। एक मोटे अनुमान के अनुसार राज्य में लगभग 407700 हस्तशिल्प इकाईयां कार्यरत है। इनमें से 202212 इकाईयां ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शेष 205488 इकाईयां शहरी क्षेत्रों में कार्यरत है जिसमें लगभग 6.00 लाख हस्तशिल्पी कार्यरत है। राजस्थान के हस्तशिल्पों में मुख्यतः धातु शिल्प, पीतल पर नक्काशी, बन्धेज (टाई एण्ड डाई), तारकशी, मिनिएचर पेटिंग, कशीदा कार्य, एल्युमिनियम टायज, वुडन कार्विंग फर्नीचर, मार्बल की मूर्तियां, वुडन एण्ड मेटल क्राफ्ट, कारपेट (गलीचा), ब्ल्यू आर्ट पॉटरी, टेराकोटा (मिट्‌टी के बर्तन), पेपरमेशी, मार्बल स्टोन कार्विग, लकड़ी/कागज/हाथी दांत पर नक्काशी, कोटा डोरिया, थेवा क्राफ्ट, डाईग एण्ड प्रिटिंग (हाथ ठप्पा छपाई) से सम्बन्धित हस्तशिल्प सम्मिलित है।

(V) राज्य में हस्तशिल्प की सम्भावनाः–

राज्य में हस्तशिल्प विकास की विपुल सम्भावनाऐं हैं। राज्य के पृथक–पृथक जिलों में प्रारम्भ से ही विभिन्न हस्तशिल्पों का विकास हुआ। विभिन्न सांस्कृतिक एवं लोक कलाओं के साथ इनमें क्षेत्रीय परिवर्तन हुए। जिसके कारण आज राजस्थान में क्षेत्र अनुसार अनेक हस्तशिल्प प्रचलित है। राज्य में विकसित अधिकांश हस्तशिल्प दैनिक

कार्यो में उपयोगी है। इसलिए यहां के हस्तशिल्प का बाजार न केवल ड्राइंगरूम या होटलों की सजावट करता है वरन् दैनिक उपयोग भी सुनिश्चित करता है। इस कारण राजस्थान के हस्तशिल्पियों की सदैव मांग बनी रहती है। राज्य से हस्तशिल्प के निर्यात की भी विपुल सम्भावनाऐं है। हस्तशिल्प के निर्यात में जोधपुर ने एल्यूमिनियम एवं आयरन हैण्डीक्राफ्टस, बाडमेर ने वुडन कार्विंग एवं जयपुर ने मार्बल की मूर्तियों व हस्तशिल्प उत्पादों (यथा कारपेट, प्रिन्टेड कपड़ा) के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ठ पहचान स्थापित करली है।

राज्य से हस्तशिल्पों का निर्यातः–

प्राप्त आंकडों के अनुसार 2014–15 में 3264.54 करोड़ रूप्ये के विभिन्न हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात हुआ। राजस्थान से हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा हैः–

(I) एयर कार्गो कॉम्पलैक्स, जयपुर

जयपुर में जेम एण्ड ज्वैलरी, हैण्डीक्राफ्ट, जैसे कम वजन वाले आईटम्स के निर्यात के लिए एयर लिफ्टिंग की सुविधाऐं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. द्वारा एक कॉम्पलैक्स संचालित किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध है। यहां कस्टम का इन्स्टेण्ट क्लीयरेन्स किया जाता है ताकि निर्यातकों को मुम्बई एवं दिल्ली स्थित अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर नहीं जाना पडे।

(II) इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो

राजस्थान राज्य एक सूखा बन्दरगाह क्षेत्र है, यहां सूखा बन्दरगाह की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य विभिन्न ऐजन्सियों के द्वारा इन्लैण्ड कन्टेनर डिपों संचालित किये जा रहे है। डिपों में समस्त प्रकार की आधारभूत सुविधायें उपलब्ध है तथा कस्टम का इन्स्टेण्ट क्लीयरेन्स किया जाता है ताकि निर्यातकों को कांडला, बुम्बई स्थित अन्तर्राट्रीय बन्दरगाहों पर नहीं जाना पड़े। यह आई.सी.डी क्रमशः जयपुर, एवं जोधपुर, स्थित है।

(III) हस्तशिल्पियों को निर्यात पुरस्कार

राज्य के हस्तशिल्प निर्यातकों को प्रोत्साहन देने हेतु राजस्थान निर्यात पुरस्कार योजना वर्ष 2004–05 से लागू की गई है, जिसमें प्रतिवर्ष दो हस्तशिल्पि निर्यातको को पुरस्कृत किया जाता है।

(IV) अन्य सुविधा

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा हैण्डीक्राफ्ट्स सहित अन्य निर्यातक इकाईयों को अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक का निर्यात करने वाली इकाईयों को आद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 एन के तहत पब्लिक यूटीलिटी स्टेटस एवं विद्युत कनेक्शन में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।

8. औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा उद्योग स्थापना से सम्बन्धित नियमों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी देने हेतु जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा जिला एवं पंचायत समिति के स्तर पर औद्योगिक प्रोत्साहन शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन औद्योगिक शिविरों में उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने से संबंधित मार्गदर्शन के साथ साथ उद्योगों के एन्टरप्रन्योर मेमोरेण्डम, कच्चेमाल की उपलब्धता, मशीन सप्लायर्स, राज्य में उपलब्ध संसाधन, वित्तीय सुविधाओं, उद्योगों को देय सहायता/सुविधाओं आदि के बारे

में जानकारी देने के साथ साथ शिविरों में उपस्थित होने वाले उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की जानकारी वाले पम्पलेट्स वितरित किये जाते हैं एवं वित्तीय संस्थाओं के ऋण आवेदन पत्र तैयार करने तथा स्वीकृतियाँ जारी कराने आदि कार्य भी शिविर स्थल पर ही सम्पन्न किये जाते हैं।

वर्ष **2014–15** में जिला स्तर पर 34 एवं पंचायत समिति स्तर पर 239 औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर आयोजित किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष जिला स्तर पर 38 तथा पंचायत समिति स्तर पर 231 औद्योगिक शिविर आयोजित किये गये।

वर्ष **2015–16** में जिला स्तर पर 34 एवं पंचायत समिति स्तर पर 248 औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर आयोजित किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष जिला स्तर पर 43 तथा पंचायत समिति स्तर पर 252 औद्योगिक शिविर आयोजित किये गये।

वर्ष **2016–17** में जिला स्तर पर 34 एवं पंचायत समिति स्तर पर 248 औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर आयोजित करने के लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2016 तक जिला स्तर पर 49 तथा पंचायत समिति स्तर पर 189 औद्योगिक शिविरों का आयोजन किया गया।

9 राजस्थान एन्टरप्राइजेज सिंगल विण्डो एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेंस एक्ट–2011

राज्य में उद्यम की स्थापना को बाधारहित बनाने, स्वीकृतियों के समयबद्ध निस्तारण तथा एकल खिड़की योजना को सुदृढ़ बनाये जाने एवं उसे विधिक आधार प्रदान किये जाने के दृष्टिकोण से राजस्थान एन्टरप्राइजेज सिंगल विण्डो एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेंस एक्ट–2011 एवं इस एक्ट के प्रावधानों की कियान्विति तथा निवेश प्रस्तावों के समयबद्ध निस्तारण हेतु संशोधित रूल्स, 2014 जारी किये गये हैं।

राज्य में निवेश प्रस्तावों के कियान्वयन हेतु आवश्यक अनुमतियों व स्वीकृतियों हेतु निर्णय लेने के लिए राज्य सक्षम समिति व जिला सक्षम समिति अपने क्षेत्राधिकार में सक्षम है। राज्य सक्षम समिति द्वारा आवश्यक अनुमतियों/स्वीकृतियों पर निर्णय लेने के साथ–साथ कस्टमाइज्ड पैकेज हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्णय हेतु अपनी अभिशंषा मंत्रीमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। जिला सक्षम समिति के लिए जिला उद्योग केन्द्र तथा राज्य सक्षम समिति के लिए ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बीआईपी) नोडल एजेन्सी है। संशोधित रूल्स, 2014 नोटिफिकेशन के पश्चात नवीन सिंगल विण्डो पोर्टल (ऑन–लाईन फाईलिंग सिस्टम) का संचालन दिनांक 1 जून, 2016 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

राज्य में निवेश हेतु सिंगल विण्डो ऑन–लाईन फाईलिंग सिस्टम के तहत 1 जून, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक प्राप्त 2106 आवेदन पत्रों में से 1737 आवेदन पत्रों पर वांछित स्वीकृतियां जारी की गई तथा 119 आवेदन पत्र निरस्त किये गये।

10- <u>उद्यम स्थापित करने प्रक्रियाओं का सरलीकरण (Ease of Doing Business)</u>

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP), भारत सरकार द्वारा उद्यम स्थापित करने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण (Ease of Doing Business) बाबत अक्टूबर, 2015 मे 340 बिन्दुओं की एक कार्ययोजना (Business Reform Action Plan-2016) सभी राज्यों को प्रेषित की गई थी। आयुक्त उद्योग विभाग द्वारा इस

कार्य की नोडल एजेन्सी के रूप में समन्वयन किया गया तथा संबंधित विभागों द्वारा किए जा रहे सरलीकरण व ऑनलाईन प्रक्रियाकरण हेतु आवश्यक तकनीकी सहयोग दिया गया।

अक्टूबर, 2016 में भारत सरकार व विश्व बैंक द्वारा Business Reform Action Plan-2016 की क्रियान्विति की आंकलन रिर्पोट में राजस्थान का क्रियान्वयन 96.43% घोषित किया गया है।

DIPP द्वारा दिसम्बर, 2016 मे नवीन 294 बिन्दुओं की कार्ययोजना (Business Reform Action Plan-2017) का प्रारूप जारी किया गया है। उद्योग विभाग द्वारा इस कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु सभी विभागों से समन्वय किया जा रहा है।

11- मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम व दक्षता उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। इस सैक्टर में विभिन्न कार्यक्रमों की स्थिति निम्न प्रकार है:–

(I) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसबीईडीपी)

उद्योगों एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के सहयोग से उद्योगों के आवश्यकता के अनुरूप श्रमिको को प्रशिक्षित करने उनके तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करने, उत्पादकता बढ़ाने के क्रम में प्रशिक्षण मॉडयूल तैयार कर प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किये जाते है। वर्ष 2013–14 में 1020 व्यक्तियों/महिलाओं को प्रशिक्षण दिये जाने के लक्ष्य के विरूद्व 1020 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2014–15 में 1440 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के विरूद्ध 1553 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया वर्ष 2015–16 से आरएसएलडीसी द्वारा ही प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे है विभाग द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है।

(II) उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईडीपी)

प्रथम पीढी के उद्यमियों को उद्योग प्रारम्भ करने से पूर्व की आवश्यकता से लेकर उद्यम के परिसंचालन में आने वाली भावी समस्याओं व चुनौतियों का सामना करने की क्षमता का विकास करने हेतु विभाग द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों को उद्योग स्थापना से लेकन उसके सफल संचालन और विपणन तक की जानकारी दी जाती है। प्रशिक्षणार्थी को संसाधन, अनुदानों, मशीनरी एवं संयत्र, कार्मिक वित्तीय एवं सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सहायता सुविधाओं, वित्तीय संस्थाओं से ऋण आदि विषय में पूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण अवधि दो सप्ताह की होती है।

वर्ष 2014–15 में 1625 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिये जाने के लक्ष्य के विरूद्व 1,997 व्यक्तियों/महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया।

वर्ष 2015–16 में 2,075 व्यक्तियों को प्रशिक्षण के विरूद्ध 2149 व्यक्तियों को *प्रशिक्षण दिया गया।*

वर्ष 2016–17 में आरएसएलडीसी द्वारा ही प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे है विभाग द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है।

(III) तकनीकी उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम (टेक्नीकल अपग्रेडेशन)

राज्य के दस्तकारों की कार्य दक्षता एवं उत्पादकीय गुणवत्ता में सुधार, नवीन तकनीक की जानकारी व नये उत्पाद, मॉडल तैयार करने हेतु विभाग द्वारा उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के माध्यम से तकनीकी उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है।

वर्ष 2014–15 में 10.00 लाख रू. बजट प्रावधान के विरूद्व के 70 प्रशिक्षणार्थियों को धातु कला एवं काष्ठ कला में प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2015–16 से बजट प्रावधान नहीं होने के कारण योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान नहीं किये गये।

12- विशिष्ठ वर्ग हेतु योजनाऐं

(I) गृह उद्योग योजना (महिलाओं के लिए)

महिलाओं को घरेलू उद्योग लगाने हेतु प्रशिक्षित कर रोजगार सृजन कर आर्थिक रूप से सुदृढ करने एवं उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि करने तथा उन्हें स्वनियोजन के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य में गृह उद्योग योजना चलाई जा रही है। योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं/नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य सरकार इस योजना के क्रियान्वयन के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं को ग्राण्ट इन एड जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से प्रदान करती है। योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से सिलाई, बुनाई, ड्रेस डिजाईन, कम्प्यूटर, लेदर गारमेन्ट आदि व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। योजना को अपेक्षाकृत अधिक परिणामोन्मुखी बनाये जाने के उद्देश्य से इसमें व्यवहारिक संशोधनों के साथ समस्त अधिकार जिला स्तर पर हस्तान्तरित किये गये है। प्रशिक्षण हेतु ट्रेड, प्रशिक्षणदायी संस्था एवं प्रशिक्षणार्थियों के चयन के अधिकार महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता वाली समिति को प्रदान कर दिये गये है।

वर्ष 2014–15 में 4555 महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य के सापेक्ष 4913 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया।

वर्ष 2015–16 में 2025 महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य के सापेक्ष 2070 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया।

वर्ष 2016–17 में आरएसएलडीसी द्वारा ही प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे है विभाग द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है।

(II) चर्म प्रशिक्षण –

चर्म उद्योग विकास हेतु राज्य में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य जाति के चर्म कर्मियों के वर्तमान कार्य में सुधार लाने व उनकी आय के स्तर में बढ़ोतरी हेतु नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को चर्म जूती, लेदर टॉयज बनाने व चर्म के अन्य आईटम्स बनाने व चर्म रंगाई का प्रशिक्षण दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में 190 चर्म कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य के विरूद्ध 190 व्यक्तियों/महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया।

वर्ष 2015–16 में 200 चर्म कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य के विरूद्ध 200 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

वर्ष 2016–17 में कुल 195 युवकों/युवतियों को प्रशिक्षण दिये जाने के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2016 तक 60 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा 10.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान के सापेक्ष 3,14,000/– रूपये व्यय किये जा चुके हैं।

(III) चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना –

राज्य में चर्म उद्योग अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कच्चे चमड़े की सगम उपलब्धता के कारण चर्म उद्योग में अल्प विनियोजन होने पर भी अधिक अधिक मात्रा में रोजगार का सृजन होता है। चर्म दस्तकार छोटे–छोटे औजारों से चर्म जूती/मोजड़ी, बैग, पर्स, लैदरएसेसरीज आदि का उत्पादरन परम्परागत तरीके से करते हैं। इन दस्तकारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण ये आधुनिक एवं मशीन क्रय नहीं कर पाते हैं, जिससे उत्पादो की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

चर्म दस्तकारों को चर्म उद्योग से संबंधित आधुनिक औजार शू–लास्ट (फर्मे) एवं मशीन आदि उपलब्ध करवाने पर चर्म दस्तकार बाजार में प्रचलित फैशन एवं मांक के अनुरूप उत्पाद तैयार कर गुणवत्ता में सुधार एवं वृद्धि करने के उद्धेश्य से चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना दिनांक 1.4.2012 से प्रारम्भ की गई थी। इस योजना की अवधि बढ़कर 31.3.2019 तक कर दी गई है। योजना के अन्तर्गत चर्म दस्तकार बैंक से ऋण लेकर आधुनिक शू–लास्ट, चर्म सिलाई मशीन क्रय कर अपना उत्पादन करने पर दस्तकारो को 50 प्रतिशत अधिकतम 15000 रू. ग्रान्ट स्वीकृत कर उसके बैंक ऋण खाते में जमा कराने का योजना में प्रावधान है।

वर्ष 2014–15 में इस योजना में 100 चर्म दस्तकरों को लक्ष्य के विरूद्ध बैंकों द्वारा 70 चर्म दस्तकारों को ऋण स्वीकृत किये गये हे। जिसके तहत 9.97 लाख रू. ग्रान्ट स्वीकृत कर दस्तकारो के ऋण खातों में जमा कराई गयी।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में 100 चर्म दस्तकारों के लक्ष्य के विरूद्ध 65 दस्तकारों का लाभान्वित किया गया। बैकों द्वारा कुल राशि 4,12,500 रूपये दस्तकारो के ऋण खातों में ग्रान्ट स्वीकृत कर जमा कराई गयी।

वर्ष 2016–17 में इस योजना में 100 चर्म दस्तकारों के लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2016 तक 31 चर्म दस्तकारों को लाभान्वित कर 1.22 लाख रू. ग्रान्ट स्वीकृत कर दस्तकारो के ऋण खातों में जमा कराई गयी।

(IV) अल्पसंख्यक कल्याण

प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यकम अल्पसंख्यक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को लाभान्वित कराया जाता है। इस कल्याणकारी योजना के तहत विभागीय योजनायें यथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, गृह उद्योग योजना में प्रशिक्षण, स्वास्थ्य बीमा योजना, करघाघर, बुनकरों का बीमा, तकनीकी उन्नयन योजना मे प्रशिक्षण, आर्टिजन्स को परिचय पत्र एवं क्रेडिट कार्ड जारी करना, मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना मे ऋण स्वीकृत करना एवं हस्तशिल्पियों को ब्याज अनुदान योजना आदि में वित्तीय वर्ष 2014–15 मे 2785 व्यक्तियों को विभागीय योजनाओ में लाभान्वित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2015–16 मे 2835 व्यक्तियों को विभागीय योजनाओ में लाभान्वित किया गया।

वर्ष 2016–2017 में माह दिसम्बर, 2016 तक अल्पसंख्यक समुदाय के 4045 व्यक्तियों को विभागीय योजनाओं में लाभान्वित किया गया।

13- क्लस्टर विकास

राज्य सरकार द्वारा राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा दस्तकारों का विकास क्लस्टर डवलपमेंट एप्रोच के आधार पर किया जा रहा है। इस हेतु वर्ष 2005–06 से राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत् बेस लाईन सर्वे के आधार पर चयनित क्लस्टर्स में क्लस्टर विकास गतिविधियों का क्रियान्वयन स्वयं सेवी संस्थाओं/क्रियान्वयन एजेन्सियों के माध्यम से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के निर्देशन में कराया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत् क्लस्टर्स में आवश्यकता के आधार पर सोफ्ट गतिविधियां यथा–एसपीवी का गठन, कौशल विकास एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाईन विकास प्रशिक्षण, तकनीकि उन्नयन, मार्केट असिस्टेन्स, क्षमता संवर्धन आदि क्रियान्वियत की जाती है। क्लस्टर में आवश्यकता होने पर सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) की स्थापना भी की जाती है, जिसका संचालन उद्यमों/दस्तकारों की एसपीवी द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2005–06 से अब तक क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 44 क्लस्टर्स में क्लस्टर विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया, जिनमे से 39 क्लस्टर्स की परियोजना अवधि पूर्ण हो चुकी है एवं शेष 5 क्लस्टर्स में क्लस्टर विकास गतिविधियां संचालित है।

वर्ष 2014–15 से वर्ष 2016–17 के मध्य जिन क्लस्टर्स में क्लस्टर विकास गतिविधियां संचालित है, उनका विवरण निम्नानुसार है –

क्र. सं	चयन वर्ष	क्लस्टर का नाम	विशेष विवरण
1.	2013–14	1. कोटा डोरिया क्लस्टर, हाडौती क्षेत्र	परियोजना चल रही है।
		2. टेरा कोटा क्लस्टर, पोकरण, जैसलमेर	परियोजना चल रही है।
		3. चर्म क्लस्टर, खाटूश्यामजी सीकर	परियोजना बन्द है।
		4. टाई एण्ड डाई क्लस्टर, शेखावाटी क्षैत्र	परियोजना चल रही है।
		5. चर्म क्लस्टर, धीरोड़ा, अलवर	परियोजना बन्द है।

राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 87.02 लाख रू., 2015–16 में 44.45 लाख रू. एवं 2016–17 में जनवरी, 2017 तक 76.80 लाख रू. की राशि व्यय हुई है। वर्ष 2016–17 में क्लस्टर्स में क्लस्टर विकास गतिविधियों को प्रारम्भ किये जाने हेतु 10 नये क्लस्टर्स का चयन किया गया है।

14- लघुत्तम, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए सहायता पैकेज

राज्य में उपलब्ध संसाधन एवं संभाव्यताओं के आधार पर लघुत्तम, लघु एवं मध्यम उद्योगों की अधिकाधिक स्थापना एवं पूर्व में स्थापित ऐसे उद्यमों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता दिलाने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने 15 फरवरी, 2008 को लघुत्तम, लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु पॉलिसी पैकेज जारी किया। सहायता पुंज के अन्तर्गत कच्चामाल एवं प्रोसेसिंग मेटेरियल पर प्रवेश शुल्क से मुक्ति एवं केन्द्रीय बिक्री कर को घटाकर 0.25 प्रतिशत किए जाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को विद्युत कर में 75 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। पर्यावरणीय मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए उच्छिष्ठ प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना में लगी स्थिर पूंजी के 50 प्रतिशत पुर्नभरण की सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय संस्थाओं को राज्य के जनसंसाधन की दक्षता में उन्नयन करने हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना में लगी स्थिर पुंजी का 50 प्रतिशत राशि का पुर्नभरण तथा वांछित भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। रीको द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लघुत्तम व लघु उद्योगों हेतु पृथक से औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने का भी प्रावधान है।

वर्ष 2014—15 में 110.00 लाख रू. की राशि का पुनर्भरण किया गया है।

वर्ष 2015—16 में माह जनवरी 2016 तक 20 लाख रू. का व्यय किया गया है।

15- राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद योजना

एमएसएमईडी एक्ट 2006 के अंतर्गत उद्योग विभाग ने ईएम पार्ट II की अभिस्वीकृति प्राप्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम द्वारा केता को आपूर्ति की गयी सामग्री/माल के भुगतान का नियत करार के बाद भुगतान न करने पर रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर पर मासिक अवशेष के साथ 3 गुना चक्रवर्ती ब्याज के भुगतान कराने हेतु राज्य सरकार के स्तर से सुविधा परिषद का प्रथम बार गठन दिनांक 06.05.2008 को किया गया। राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम—2007 की अधिसूचना दिनांक 08.09.2008 को जारी की गयी, सुविधा परिषद के प्रथम गठन के उपरान्त से दिसम्बर, 2015 तक सुविधा परिषद की 18 बैठकों का आयोजन किया गया है।

गैर सरकारी सदस्यों का नये सिरे से मनोनयन राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.08.2014 को किया गया है ।

1. सुविधा परिषद के प्रथम गठन से मार्च, 2012 तक कुल 65 केस प्राप्त हुए तथा 13 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के वाद में सुविधा परिषद द्वारा 287.27 लाख रू. के अवार्ड जारी किये जाने का निर्णय लिया गया ।
2. अप्रेल, 2012 से मार्च, 2013 की अवधि में 61 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के विलम्बित भुगतान से संबंधित वाद सुविधा परिषद में प्राप्त हुए तथा 62 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के वाद में सुविधा परिषद द्वारा 720.37 लाख रू. के अवार्ड जारी किये जाने का निर्णय लिया गया ।
3. अप्रेल, 2013 से मार्च, 2014 की अवधि में 52 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के विलम्बित भुगतान से संबंधित वाद सुविधा परिषद में प्राप्त हुए ।
4. अप्रेल, 2014 से मार्च, 2015 की अवधि में 142 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के विलम्बित भुगतान से संबंधित वाद सुविधा परिषद में प्राप्त हुए तथा 16 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के वाद में सुविधा परिषद द्वारा 45.66 लाख रू. के अवार्ड जारी किये जाने का निर्णय लिया गया ।

5. अप्रेल, 2014 से दिसम्बर, 2015 की अवधि में 119 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के विलम्बित भुगतान से संबंधित वाद सुविधा परिषद में प्राप्त हुए तथा 30 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के वाद में सुविधा परिषद द्वारा 459.83 लाख रू. के अवार्ड जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

16- सिरेमिक परीक्षण प्रयोगशाला, बीकानेर

सिरेमिक सेन्टर की स्थापना के लिए वर्ष 2005–06 के बजट भाषण में घोषणा की गई थी, और इस हेतु 451.40 लाख रु. का बजट प्रावधान किया गया था। सिरेमिक एण्ड इलेक्ट्रिकल विकास समिति, बीकानेर की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट (सीजीसीआरआई) खुर्जा से तैयार कराई गई थी। समिति की मूल प्रोजेक्ट लागत 451.40 लाख रु. थी जो कि संशोधित कर 710.78 लाख रु. कर दी गई। सेन्टर के लिए टैक्नीकल एज्यूकेशन विभाग द्वारा 11,514 स्क्वायर मीटर जमीन उपलब्ध कराई गई है। जिला कलक्टर, बीकानेर की अध्यक्षता में एक सोसायटी का पंजीयन कराया गया है। प्रयोगशाला हेतु भवन के प्रथम एव द्वितीय चरण का निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। सेन्टर को सुचारु रुप से चलाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, बीकानेर सोसायटी के साथ दिनांक 11.11.2009 को एक एम.ओ.यू. एक वर्ष के लिए किया गया था, जिसे अब एक वर्ष के लिए और बढ़ाया गया था तथा तीन वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है जो निरन्तर कार्यरत है। सिरेमिक सेन्टर में मूल प्रोजेक्ट की लागत में से 171.73 लाख रू. की राशि के आवश्यक संयत्र आदि क्रय किये जा चुके है, जिसमें से 12.27 लाख का भवन निर्माण कार्य शेष है। सिरेमिक सेन्टर में परीक्षण/गुणवत्ता की जॉच के पश्चात मशीनें स्थापित करके टेस्टिंग का कार्य शुरु कर दिया गया है।

- सिरेमिक उद्योगों को क्लस्टर्स के रूप में स्थापित करने एवं पूरे उत्तर भारत में इस क्षेत्र में क्रांतिकारी औद्योगिक उपलब्धियों के लिए वर्ष 2005–06 में राज्य सरकार द्वारा सिरेमिक सेन्टर, बीकानेर के रूप में स्थापित किये जाने के लिए घोषणा की गई। सिरेमिक सेंटर की स्थापनार्थ राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित राशि रूपये 710.78 लाख स्वीकृत/आवंटन हुए हैं। सिरेमिक सेन्टर बीकानेर का विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR), नई दिल्ली से पंजीकरण हो चुका है। परियोजना रिपोर्ट राशि रूपये 710.78 लाख राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में अनुमोदित की गई। जिसका पंजीकरण राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत 14 अक्टूबर 2005 को "सिरेमिक एवं इलेक्ट्रीकल विकास समिति" का पंजीयन हो चुका है सिरेमिक लेबोरेट्री द्वारा सिरेमिक टेस्टिंग का कार्य दिनांक 13.05.2010 से प्रारम्भ कर दिया गया था।
- लैब के लिए लैब भवन एवं प्रशासनिक भवन बनकर पूर्ण रूपेण तैयार हो गया है। इस पर अब तक (कुल निर्माण 20277 वर्ग फीट क्षेत्र) राशि 187.73 लाख रूपये नियोजन हो चुका है।

- आवश्यकता के अनुसार अब तक राशि 322.27 लाख रूपये के उपकरण क्रय कर विभिन्न लैब में स्थापित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त सभी लैबों की आवश्यक्तानुसार फर्नीचर एवं फिक्चर भी क्रय कर स्थापित कर दिया गया है।
- CEVSB के सदस्यों एवं उद्योग संघों के सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर रिजनेबल टेस्टिंग्स चार्ज/फीस निर्धारित की गई है।
- सेंटर में सिरेमिक इलेक्ट्रीकल, कैमिकल, मिनरल एवं फिजिकल विश्लेषण से संबंधित विभिन्न प्रकार के परीक्षण का कार्य चल रहा है।
- राष्ट्रीय स्तर की परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में सिरेमिक सेंटर की इलेक्ट्रीकल लैब को **राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड, भारत (NABL) द्वारा मान्यता दिनांक 22.09.2016** को प्राप्त हो चुकी है।
  - जिसमें **विद्युत धारा प्रसारण उपकरणों एवं एसेसरीज** के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के इंसुलेटर एवं उनसे संबंधित उपकरणों एवं एसेसरीज मुख्यतः इंसुलेटर, पोर्सलीन इंसुलेटर में प्रयुक्त खनिज विशेषतः **सिरेमिक की गुणवत्ता एवं उच्च स्तरीय ताप ग्रह्यता एवं गैलवेनाईजिंग टेस्ट दिनांक 22.09.2016 से प्रारम्भ कर दिये गये है।**
  - साथ ही **माह दिसम्बर 2016 से यांत्रिक टेस्ट भी प्रारम्भ कर दिये गये** हैं।
- **सरेमिक जोन में सेंट्रल ग्लास एवं सिरेमिक रिसर्च इन्स्टीटयूट खुर्जा द्वारा वर्ष 2016–17 में दिनांक 18.01.2017 तक 295 श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें से 80 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हुआ है एवं 98 श्रमिकों का प्रशिक्षण चल रहा है।**
- सिरेमिक सेन्टर के बारे में समस्त प्रकार की जानकारी हेतु CEVS द्वारा www.cerdc.res.in की वेबसाईट तैयार की है। सिरेमिक इलेक्ट्रीकल रिसर्च एण्ड डवलेपमेंट सेंटर, बीकानेर को बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज की वेबसाईट www.ecb.ac.in/cclab एवं जिले की वेबसाईट bikaner.nic.in से भी जोड़ दिया गया है।

17- फर्मों का पंजीयन

कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस् के रूप मे राज्य की भागीदारी फर्मों के पंजीयन इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 एवं राजस्थान भागीदारी रूल्स 1952 के अन्तर्गत किये जाते है एवं इसी प्रकार नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट 1960 के अन्तर्गत नॉन ट्रेडिंग कम्पनी का पंजीयन किया जाता है।

जिलों में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को भागीदारी फर्म का पंजींयन के अधिकार राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त किये गये हैं।

वर्ष 2014–15 में 7431 भागीदारी फर्मों का पंजीयन कर राशि 22.95 लाख रुपये एवं 22 नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन कर राशि 27962 रूपये की आय अर्जित की गई।

वर्ष 2015–16 में 6932 भागीदारी फर्मों का पंजीयन कर राशि 23.23 लाख रुपये एवं 17 नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन कर राशि 17,600/– रू. की आय अर्जित की गई।

वर्ष 2016–17 में माह दिसम्बर, 2016 तक 3602 भागीदारी फर्मों का पंजीयन कर राशि 11,10,000/– रुपये एवं 10 नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन कर राशि 10,350/–रूपये की आय अर्जित की गई।

18- बाट व माप (विधिक माप विज्ञान)

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 24 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक बाट व माप उपयोगकर्ता का यह दायित्व है कि उसके द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे बाट व माप उपकरणों का सत्यापन एवं मुद्राकंन भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अन्तराल में सत्यापन एवं मुद्रांकन हेतु निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान को प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन नियम 2011 के नियम 14 में यह प्रावधान है कि निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान नियत अन्तराल पर उसको प्रस्तुत किये गये बाट व माप उपकरणों का सत्यापन करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत बाट व माप भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं। मानकों के अनुरूप पाये जाने पर सत्यापन एवं मुद्रांकन कर प्रमाण पत्र जारी करेगा।

वर्ष 2014–15 में बाट व माप के मुद्रांकन व सत्यापन से राजस्व के निर्धारित लक्ष्य 1079.60 लाख रूपये के विरुद्व 1082.06 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त किया गया। बाट व माप एवं पी.सी.आर. के विभिन्न प्रावधानों व धाराओं के उल्लंघन पर 1703 अभियोगों को कम्पाउण्ड किया जाकर कम्पाउण्डिंग रूपये 23. 20 लाख की जुर्माना राशि राजकीय कोष में जमा की गई है। निरीक्षकों द्वारा 4383 सामान्य प्रकृति के व्यापारिक संस्थान, 1182 पेट्रोल पम्प, 396 केरोसीन डीलर्स एवं उचित मूल्य की दुकानें, 87 एल.पी.जी. गैस डीलर, 1733 मिठाई की दुकानें, 9445 टैक्सीमीटर, 1763 डिब्बा बन्द वस्तुओं के विक्रेता, 1086 फल व सब्जी विक्रेता, 2732 ऑटोमेटिक व्हेईग मशीन, 1803 टैंक लॉरीज, 420 एफपीएस एवं 138 दूग्ध पैकिंग संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। जिसमें 768 सामान्य संस्थान, 142 पेट्रोल पम्प, 30 केरोसीन व उचित मूल्य की दुकानें, 2 एल.पी.जी. गैस, 42 एफ.पी.एस., 128 मिठाई की दुकानें, 23 फल एवं सब्जी, 312 पी.सी.आर. 110 ऑटो व्हेईग संस्थाओं के विरूद्ध अभियोग दर्ज किये गये।

वर्ष 2015–16 में बाट व माप के मुद्रांकन व सत्यापन से राजस्व के निर्धारित लक्ष्य 1166.30 लाख रूपये के विरुद्व 1189.27 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त किया गया है एवं व्यापारिक नियमों का उल्लंघन करने पर 1985 के लक्ष्य के विरूद्ध 520 व्यापारियो का बाट माप अधिनियम अन्तर्गत चालान किया गया। बाट व माप सत्यापन कार्य के अलावा राज्य में विक्रित होने वाले पैकेटो को विधिक माप विज्ञान (पैकेज कमोडिटी) नियम 2011 की पालना सुनिश्चित कराना भी है जिसमें उपभोक्ताओं की अनुपस्थिति में पैक किये पैकेटो पर निर्माता का नाम व पता, वस्तु का नाम, पैकिंग माह, पैकेट की कीमत, बैच न. एवं कस्टमर केयर नम्बर आदि होने चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई भी विक्रेता अंकित मूल्य से ज्यादा राशि वसूल नही करें, यह भी सुनिश्चित कराना विधिक माप विज्ञान विभाग का दायित्व है। देश के निर्मित पैकेटों के साथ साथ आयातित पैकेटो पर भी पीसीआर नियमों की पालना सुनिश्चित की जाती है।

वर्ष 2016–17 में माह सितम्बर 2016 तक बाट व माप के मुद्रांकन व सत्यापन से राजस्व के निर्धारित लक्ष्य 1166.30 लाख रूपये के विरुद्व 540.55 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त किया गया है एवं व्यापारिक नियमों का उल्लंघन करने पर 1230 के लक्ष्य के विरूद्ध 44 व्यापारियो का बाट माप अधिनियम अन्तर्गत चालान किया गया। 30 सितम्बर, 2016 से यह योजना खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान उपभोक्ता मामलात विभाग को राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत हस्तानान्तरित कर दी गई है।

19- <u>उद्यम प्रोत्साहन संस्थान</u>

सकारात्मक औद्योगिक नीति एवं प्रेरक प्रशासन के परिणामस्वरूप राज्य में परम्परागत एवं अपराम्परागत वस्तुओं का उत्पादन वृहद् स्तर पर हुआ है। इन नवीन उत्पादों को उपभोक्ताओं की जानकारी में लाने के लिये राज्य सरकार ने राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन करने के लिये उद्यम प्रोत्साहन संस्थान का गठन माह अक्टूबर, 1995 में किया। संस्थान के मुख्य उद्देश्य स्थाई प्रदर्शनी स्थलों का निर्माण, उत्पादों का स्थाई प्रदर्शन, क्रेता–विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेकर राज्य के उत्पादों का प्रदर्शन करना, उद्यमियों को प्रशिक्षण एवं औद्योगिक शिविरों का आयोजन करना तथा उनसे संबंधित साहित्य आदि का प्रकाशन है।

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान ने गठन के पश्चात् राज्य के औद्योगिक उत्पादों/दस्तकारों/हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों के उत्पादों के विपणन में प्रभावी भूमिका अदा की है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिसम्बर 2016 तक संस्थान के माध्यम से 61 प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, जिसमें 8456 इकाईयों ने भाग लिया तथा 415.00 लाख रूपये की बिकी व बिकी आदेश प्राप्त कियें।

(I) <u>अरबन हाट</u>

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान जो कि विभाग में एक स्वायत्तशाषी संस्थान है, द्वारा दिल्ली हाट की तर्ज पर जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर में अरबन हाट की स्थापना की गई है। जोधपुर में अरबन हाट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 13.02.2004 को किया जा चुका है। जयपुर में भी अरबन हाट का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। दिनांक 27.03.2007 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण कर दिया गया है। अरबन हाट, अजमेर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अरबन हाट अजमेर में हस्तशिल्प आईटम की प्रदर्शनी आयोजित कर प्रारम्भ किया जा चुका है।

इन हाटों के माध्यम से वर्षपर्यन्त दस्तकारों/हस्तशिल्पियों/बुनकरों द्वारा उत्पादित औद्योगिक उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया जा सकेगा। अरबन हाट 200.00 लाख रूपये की परियोजना है जिसमें भारत सरकार का 70 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का 30 प्रतिशत योगदान है। इन अरबन हाटों में वर्ष 2016–17 में दिसम्बर 2016 तक 17 प्रदर्शनियों का आयोजन हुआ है। जिसमें 562 इकाईयों ने भाग लिया, जिसके माध्यम से 54.85 लाख रूपये की बिक्री हुई ।

(11) ग्रामीण हाट

राज्य के लघु उद्योग एवं हस्तशिल्पियों के उत्पादों के विक्रय हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत विशेष परियोजनान्तर्गत उद्योग विभाग की संस्था उद्यम प्रोत्साहन संस्थान द्वारा 10 ग्रामीण हाट भीलवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौडगढ, झून्झून, राजसमन्द, उदयपुर, कोटा, दौसा एवं जैसलमेर में प्रारम्भ किये जा चुके है। द्वितीय फेस के अन्तर्गत पांच ग्रामीण हाट पुष्कर, चूरू, बूंदी, झालावाड़ एवं करौली प्रस्तावित है। इनमें से प्रथमतः पुष्कर, बूंदी, झालावाड़ के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं। स्वीकृति अपेक्षित है। ग्रामीण हाट योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण हाट की कुल लागत रूपये 100.00 लाख रूपये है, जिसका 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार से तथा 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार ग्रामीण विकास विभाग से व्यय किया गया है। ग्रामीण हाटों में वर्ष 2016–17 में दिसम्बर 2016 तक 42 प्रदर्शनियाँ आयोजित की गयी है जिसमें 7756 इकाईयों ने भाग लिया तथा 75.07 लाख रूपये राशि की बिक्री की व बिक्री आदेश प्राप्त किये।

- **शहरी एवं ग्रामीण हाटों में पिछले तीन वर्षों में आयोजित औद्योगिक प्रदर्शनी/मेले में लाभान्वित अर्टीजन्स एवं इनमें हुई बिक्री का विवरण निम्नानुसार है :–**

Year	No. of Fairs	No. of Beneficiaries	Total sale (Rs. Lacs)
2014-15	91	4729	1551
2015-16	106	12535	2460
2016-17 (Upto December, 2016)	61	8456	415

वर्ष 2016-17 में हाटवार आयोजित मेले/प्रदर्शनियों का विवरण

S. No.	Place	No.of Exhibitions	No. of participate units	Sale & Sale orders (Rs. in lacs)
1.	Urban Haat, Ajmer	14	445	47.00
2.	Urban Haat, Jaipur	3	117	7.85
3.	**Rural Haats-10** (Udaipur, Bharatpur, Chittorgarh, Rajsamand, Bhilwara, Bikaner, Dausa, Jaisalmer, Jhunjhunu & Kota)	42	7566	75.07
4-	Other Exhibition 1.. Bhilwara fair 2. Sawai Modhpur fair	2	328	285.00
	Total :-	61	8456	414.92

(III) तकनीकी उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान द्वारा धातु एवं काष्ठ कला अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। संस्थान के पास राज्य में धातु एवं काष्ठ कला व्यवसायों में प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था है तथा गत वर्षों से संस्थान तकनीकी उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम में संलग्न है। संस्थान में तीन केन्द्र क्रमशः जयपुर, उदयपुर तथा जोधपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

वर्ष 2014–15 में सात प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें 70 प्रशिक्षणार्थियों को धातु कला एवं काष्ठ कला में प्रशिक्षण दिया गया।

20- "असिस्टेन्स टू स्टेट्स फॉर डवलपिंग एक्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड अलाइड एक्टिविटिज " (असाईड योजना)

भारत सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु राज्य के आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए असाइड योजना प्रारम्भ की गई है। राज्य में असाईड योजनान्तर्गत प्रस्तावित प्रोजेक्ट स्वीकृति हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आयुक्त, उद्योग को इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आयुक्त, निर्यात नामांकित किया गया है। इस समिति में वित्त विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रीको पर्यटन आदि विभागों के अधिकारियों को सदस्य नियुक्त किया गया है।

अब तक राज्य में 31 परियोजनाऐं योजनान्तर्गत स्वीकृत की गयीं है। स्वीकृत प्रोजेक्ट्स में ईपीआईपी (जोधपुर) ईपीआईपी, नीमराना, एसईजेड, सीतापुरा (जयपुर) एवं एसईजेड, बोरानाडा जोधपुर आईसीडी बीकानेर तथा अर्थ स्टेशन(जोधपुर) सीईटीपी (भिवाडी) लिंक रोड भिवाडी वाया राठीवास एवं खुशखेड़ा–एनएच–8 चौपांकी से एसएच 25 रोड का इम्प्रुवमेंट सी–डॉस एवं लिंक रोड कनेक्टिंग खुशखेडा से एन एच 8 वाया कसौला, चौक आदि के प्रोजेक्ट सम्मिलित है। अब तक स्वीकृत प्रोजेक्टस की कुल परियोजना लागत 590.42 करोड रूपये है, जिसमें 268.95 करोड रूपये की सहायता का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा अब तक 218.55 करोड रूपये की राशि जारी की गयी है। 27 प्रोजेक्ट राज्य सरकार की इम्पलीमेंटिग एजेन्सी रीको एवं 2 प्रोजेक्ट राजसिको के द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे है। एक परियोजना इंण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ जैम एण्ड ज्वैलरी तथा एक परियोजना महेन्द्रा वर्ल्ड सीटी द्वारा कियान्वित किये जाने के प्रस्ताव है। 25 परियोजनाऐं पूर्ण हो चुकी है, शेष परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इस योजना की रीको नोडल एजेन्सी है।

21- निर्यात

अ– राज्य के निर्यात को प्रोत्साहन करने एवं निर्यातकों के मनोबल बढाने के उद्देश्य से वर्ष 2004–05 से राजस्थान निर्यात पुरस्कार योजना पुनः लागू की गई है। एक भव्य राज्य स्तरीय समारोह आयोजित कर माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से उत्कृष्ठ निर्यातकों को पुरूस्कृत किया जाता है। वर्ष 2005 में 22, वर्ष 2008 में 28, वर्ष 2009–10 में 24 तथा वर्ष 2011–12 में 20 उत्कृष्ट निर्यातकों पुरस्कृत किया गया है। माह दिसम्बर 2015 में तीन वर्षों के लिए 79 निर्यातकों को जिला स्तर पर प्रभारी मंत्रीगणों द्वारा पुरूस्कृत किया गया। दो वर्षों के लिए लगभग 28 निर्यातको का चयन किया जा चुका है। शीघ्र ही एक भव्य समारोह आयोजित कर माननीय मुख्यमंत्री महोदया के करकमलों से पुरस्कृत किया जायेगा।

ब– वर्ष 2004–05 में राज्य से 8002.03 करोड रूपये के मुल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया था, जोकि बढकर वर्ष 2012–13 में 39106.70 करोड़ रूपये, वर्ष 13–14 में 37267.71 करोड़ रूपये एवं वर्ष 2014–15 में **38767.15** करोड़ रूपये मूल्य का हो गया। राज्य से टेक्सटाइल्स, एग्रो, जेम ज्वैलरी, इंजीनियरिंग, मेटल, डायमेंशनल स्टोन्स, केमीकल्स, हैण्डीक्राफ्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है।

- **निर्यात प्रोत्साहन, प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम**

  यह योजना इस पंचवर्षीय योजना में लागू की गयी है। ऐसे उद्यमी जोकि निर्यात के क्षेत्र में प्रवेश के इच्छुक है, उन उद्यमियों को निर्यात प्रक्रिया एवं दस्तावेजों तथा विश्व के बाजारों की जानकारी देने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गयी है ताकि वे अपना स्वयं का निर्यात व्यवसाय प्रारंभ कर सके। योजनान्तर्गत 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कराये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2012–13 से राज्य के सात स्थानों पर इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जा रहें हैं। इस वित्तीय वर्ष में 7 स्थानों पर आयोजित कराये जा रहें हैं । एक कार्यक्रम जयपुर में आयोजित कराया जा चुका है। शेष स्थानों सिरोही, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर तथा भरतपूर में शीघ्र ही कार्यक्रम आयोजित कराये जाएगें ।

- **अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर सहायता योजना**

  यह योजना वर्ष 2012–13 से लागू की गयी है । योजनान्तर्गत विदेशों में आयोजित होने वाले अनुमोदित व्यापार मेलों में भाग लेने वाली इकाईयों को उनके द्वारा चुकाये गये ग्राउण्ट रेण्ट पर ग्राउण्ड रेण्ट का 33 प्रतिशत अधिकतम 75000 रूपये की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है ताकि इकाई अधिकाधिक संख्या में इन विदेशी मेलों में भाग लेकर बाजारों की खोज कर सके। गत वर्ष 20 इकाईयों को 15.00 लाख रूपये की राशि का अनुदान उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2015–16 में दिसंबर तक 06 इकाइयों को 3.92 लाख रूपये की राशि का अनुदान उपलब्ध कराया जा चुका है।

22- नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलोजी (NIFT)

जोधपुर में नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलोजी (NIFT) की शाखा की स्थापना हेतु संस्थान के भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 एकड़ भूमि निःशुल्क आंवटित कर गई है। परियोजना की कुल लागत 58.65 करोड रूपये है। निफ्ट को पूण राशि रूपये 58.65 करोड़ रूपये उपलब्ध करायी जा चुकी है।

संस्थान का शैक्षणिक सत्र पुराने नगर निगम के भवन में संचालित कराया जा रहा था। अब करवड़ रोड़ स्थित नये भवन में निफ्ट स्थानान्तरित हो चुका है।

23- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2010

राज्य में निवेश को गति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.08.2010 को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2010 लागू की गई।

इस योजना में नये निवेश पर तथा स्थापित इकाइयों द्वारा आधुनिकीकरण/विस्तार/विविधीकरण हेतु किए गए निवेश पर तथा रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास में सहायता हेतु उन्हें नई इकाइयों के समकक्ष निम्नांकित सुविधाओं का प्रावधान किया गया है :–

पूंजी निवेश अनुदान को ब्याज अदायगी से असम्बद्ध करते हुए किए गए निवेश पर 7 वर्षों की अवधि के लिए पूंजी अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है (अधिसूचित क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम होने पर लाभ की अवधि सीमा 10 वर्ष है), जो कि इकाई द्वारा जमा किए गए करों (वैट/सीएसटी/एसजीएसटी) के 30 प्रतिशत तक की अधिकतम सीमा तक देय होगा। रोजगार सृजन अनुदान को वैट अदायगी के 20 प्रतिशत की सीमा तक किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कुल पूंजी निवेश अनुदान इकाई द्वारा जमा किए गए करों (वैट/सीएसटी/एसजीएसटी) की 50 प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध है। यह सीमा महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग निवेशकों हेतु बढ़ाकर करों की अदायगी की 60 प्रतिशत की सीमा तक प्रदान करने का प्रावधान है।

इकाई के कार्यशील होने से पूर्व ही उसे निवेश हेतु क्रय/लीज पर प्राप्त भूखण्ड पंजीयन करने पर मुद्रांकन शुल्क में 50 प्रतिशत तथा भू प्रयोग रूपान्तरण करने पर रूपान्तरण शुल्क 50 प्रतिशत की छूट तथा भूमि कर में 50 प्रतिशत की छूट 7 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध है (अधिसूचित क्षेत्रों में एमएसएमई होने पर समय सीमा 10 वर्ष है)। कार्यशील होने के उपरान्त विलासिता कर में शत–प्रतिशत, विद्युत कर, मनोरंजन कर एवं मण्डी शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट 7 वर्षों की अवधि के लिए दिए जाने का प्रावधान है (अधिसूचित क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम होने पर लाभ की अवधि सीमा 10 वर्ष है)।

पूंजी निवेश अनुदान तथा विभिन्न कर मुक्तियों की अदायगी की प्रक्रिया के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। पूंजी निवेश अनुदान के वितरण की प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट करते हुए सरल बना दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को उद्यमों तथा उच्च नियोजन सृजन की क्षमता वाले उद्यमों के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। तम्बाकू एवं तम्बाकू युक्त पान मसाला और गुटखा, तेल रिफाइनरी के अतिरिक्त अन्य प्रकार से खाद्य तेल एक्सट्रेक्शन व मैन्यूफैक्चरिंग तथा शराब व बीयर उत्पादन इकाइयों को योजनान्तर्गत नकारात्मक सूची में रखा गया है।

प्रगति

योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में 1695 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें रुपये 14457.23 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। प्राप्त प्रस्तावों में से 1443 उद्यमियों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिनमें रुपये 15844.15 करोड़ का निवेश हुआ तथा 26359 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ हुआ।

(राशि करोड़ रू. में)

वर्ष	प्राप्त प्रस्ताव		जारी प्रमाण पत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2013–14	1338	11447.96	1026	11741.45
2014–15	686	14329.24	525	9250.13
2015–16 (माह नवम्बर 2015 तक)	6324	102691.71	4999	93838.28

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014

- राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014 दिनांक 08.10.2014 को जारी की गई है।
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014 दिनांक 08.10.2014 से दिनांक 31.03.2019 तक प्रभावी रहेगी।
- यह योजना नए उपक्रम, स्थापित उपक्रम जो विस्तार करना चाहें, रूग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन एवं चयनित सेवाओं में किये गये निवेश पर लागू होगी।
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014 के अन्तर्गत निम्नानुसार लाभों के लिए प्रावधान किए गए हैं –

(i) मुद्रांक शुल्क एवं भू–रूपान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट

(ii) विद्युत कर, मण्डी शुल्क, मनोरंजन कर एवं भूमि कर में 50 प्रतिशत की छूट (सात वर्षों के लिए), विलासिता कर में 100 प्रतिशत सात वर्षों के लिए

(iii) उत्पादक तथा सेवा कार्य करने वाले उद्यमियों को जिन्होंने 750 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित किया हो, को प्लान्ट एवं मशीनरी पर प्रवेश कर में 100 प्रतिशत की छूट।

(iv) 30 प्रतिशत निवेश अनुदान व 20 प्रतिशत रोजगार सृजन अनुदान (सात वर्षों के लिए)

(v) 5 से 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए 5 वर्ष तक।

(vi) आई टी, एग्रो प्रोसेसिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान

(vii) सेवा इकाइयों को प्लान्ट एवं मशीनरी खरीद पर 50 प्रतिशत वेट पुनर्भरण।

(viii) टेक्सटाइल, एग्रो प्रोसेसिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी इकाइयों को ईटीपी स्थापना पर 20 प्रतिशत पूंजी अनुदान।

➢ निम्नांकित थ्रस्ट सेक्टर्स के लिए विशेष प्रावधान –

(i) सिरेमिक्स व ग्लास
(ii) डेयरी
(iii) एम.एस.एम.ई.
(iv) ई.एस.डी.एम. (इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन मैन्यूफैक्चरिंग),
(v) फार्मास्यूटीकल,
(vi) प्लास्टिक टू ऑयल मैन्यूफैक्चरिंग,
(vii) पावरलूम
(viii) टेक्सटाइल
(ix) ट्यूरिज्म
(x) इण्डस्ट्रियल गैसेज
(xi) डिफेन्स
(xii) आई टी
(xiii) बायोटेक्नोलोजी
(xiv) कोटा स्टोन मार्बल एण्ड ग्रेनाईट
(xv) डिसालिनेशन
(xvi) एग्रो प्रोसेसिंग एण्ड एग्रो मार्केटिंग

➢ महिला/अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों के लिए अतिरिक्त लाभ प्रस्तावित है।

➢ पिछडा एवं अतिपछडा क्षेत्रों में किये गये निवेश पर भी अतिरिक्त लाभ का प्रावधान है।

➢ एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश करने एवं रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों को कस्टमाईज पैकेज स्वीकृत करने का प्रावधान भी किया है।

प्रगति :

वर्ष	उद्यमी संख्या	निवेश (राशि करोड़ में)
2015–16	43	3011.24
2016–17 (माह दिसम्बर, 2016 तक)	1534	18056.16

24- <u>नमक उद्योग</u>

राजस्थान भूमिगत जल से लवण निर्माण में सर्वोच्च स्थान रखता है। देश में उत्पादित नमक का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा राज्य में उत्पादित किया जाता है। यह उद्योग राज्य के रेगिस्तानी इलाकों में स्थित है, जो अकाल के समय में भी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। राज्य के खुले लवण क्षेत्रों में निजी इकाईयों को राज्य सरकार के उद्योग विभाग के माध्यम से लवण भूमि का आवंटन किया जाता है, जबकि आरक्षित लवण क्षेत्रों में राजकीय/केन्द्रीय उपक्रम विभागों द्वारा नमक उत्पादन का कार्य करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त लवण क्षेत्रों की परिधि में खातेदारों (कृषकों) जिनकी भूमि लवणीय हो गयी है, खातेदार (कृषक) द्वारा खातेदारी भूमि को कृषि से अकृषि भूमि में राजस्व विभाग के माध्यम से रूपान्तरित करवाकर लवण निर्माण का कार्य किया जाता है।

राजस्थान राज्य में खुले लवण क्षेत्र जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, चूरू, सीकर व बाड़मेर जिलों में घोषित हैं। वर्तमान में राज्य के विभिन्न लवण क्षेत्रों में 648 इकाईयों को 10833 एकड़ भूमि आवंटित है जिनसे लगभग 15.00 लाख से 17.00 लाख रूपये राजस्व आय प्रतिवर्ष प्राप्त होती है।

निजी खातेदारी द्वारा राजस्थान कृषि से अकृषि भूमि रूपान्तरण नियम–1961 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर को 10 एकड़ तक रूपान्तरण की शक्तियां प्रदत्त थी। वर्ष 1992 से पूर्व विभिन्न जिला कलेक्टरों द्वारा 650 इकाईयों की 4600 एकड़ भूमि को रूपान्तरित किया गया था। इन इकाईयों के संबंध में लीज निष्पादन, नवीनीकरण, हस्तानान्तरण की कार्यवाही उद्योग विभाग द्वारा ही सम्पादित की जाती है।

वर्ष 1992 के बाद कृषि से अकृषि लवण भूमि ग्रामीण क्षेत्र में भूमि संपरिवर्तन नियम 1992 एवं 2007 के तहत कृषि भूमि का लवण भूमि में संपरिवर्तन राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा हैं एवं इनकी वास्तविक सूचना राजस्व विभाग के पास उपलब्ध है।

<u>लवण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विवरण</u>

लवण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के तहत लवण क्षेत्रों में सड़क बनाने, पीने के लिए स्वच्छ जल, बांध निर्माण, विद्युतीकरण आदि के कार्य राज्य सरकार की एजेन्सीज यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग एवं विद्युत विभाग के माध्यम से करवाये जाते हैं।

लवण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को विकसित किये जाने हेतु महाप्रबन्धकों द्वारा स्थानीय नमक उत्पादकों/संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर आवश्यकतानुसार प्रस्ताव प्राप्त कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाती है, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी की जाती हैं।

वर्ष 2014–2015

क्र. स.	सड़क निर्माण का कार्य का नाम	आवंटित राशि (लाख रू.)	व्यय राशि (लाख रू.)
1.	जोधपुर साल्ट टू नक्ता साल्ट तक सड़क निर्माण नांवा, नागौर (गत वर्ष के अधूरे कार्य को कराने हेतु)	33.70	7.44
2.	आउ से खाखड़की जिला सीमा तक 6.00 कि.मी. सड़क निर्माण	100.00	आउ से खाखडकी जिला सीमा तक सड़क निर्माण हेतु 66.30 लाख रू. की स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण टैण्डर की प्रक्रिया नियमों के कारण दिनांक 28.3.15 को खोले गये इस कारण व्यय नही हो सका।

वर्ष 2015–2016

क्र. स.	सड़क निर्माण का कार्य का नाम	आवंटित राशि (लाख रू.)	व्यय राशि (लाख रू.)
1.	स्टेट हाईवे–2 (बियाणी पैट्रोल पम्प के सामने) से लिंक रोड़ (नवीनीकरण) नांवा नागौर (द्वितीय प्राथमिकता वाली सड़क)	38.31	30.72
2.	आउ से खाखडकी जिला सीमा तक 6.00 कि.मी. सड़क निर्माण	173.00	133.29
3	चौधरी ऑटो से नमक एरिया बाईपास पर सड़क निर्माण हेतु	28.69	16.46
		Total :-	180.47

वर्ष 2016–2017

क्र. स.	सड़क निर्माण का कार्य का नाम	आवंटित राशि (लाख रू.)	व्यय राशि (माह दिसम्बर, 2016 तक)
1.	आउ से खाखडकी जिला सीमा तक 6.00 कि.मी. सड़क निर्माण	79.08	67.66
2	चौधरी ऑटो से नमक एरिया बाईपास पर सड़क निर्माण हेतु	52.76	-
3	बापरिण लवण क्षेत्र में प्लॉट सं. 80, 87,111,139, 174 व 195 के मध्य 1.30 कि.मी. सड़क निर्माण	38.00	-
4	नांवा जाबदीनगर सड़क से पुराने रेल्वे क्वार्टर साल्ट एरिया जाबदीनगर को जोड़ने के लिए 3.50 कि.मी. सड़क निर्माण	70.00	-
	Total :-	239.84	67.66

25- लवण श्रमिक कल्याण योजना

लवण श्रमिक कल्याण सहायता योजना वर्ष 2009 में प्रारम्भ की गई। लवण क्षेत्रों में कार्यरत लवण श्रमिक योजनान्तर्गत लाभार्थी होगे। योजनान्तर्गत लवण श्रमिकों की पहचान कर उन्हें पहचान पत्र जारी करना एवं पहचान पत्र के आधार उन्हें बीमा का लाभ प्रदान करना एवं गमबूटस, गौगल्स एवं साईकिल (लवण श्रमिक द्वारा 300/– रूपये के स्वयं के अंशदान पर) सहभागिता के आधार पर उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्ष पर्यन्त लवण उत्पादक जिलों में कार्यरत नमक श्रमिकों द्वारा सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। आवेदन के साथ मतदाता पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नियोक्ता का शपथ–पत्र, कार्यस्थल का पता एवं निवास स्थान, परिवार की जानकारी हेतु राशन कार्ड की प्रति प्राप्त की जाती हैं।

वर्ष	प्रावधित राशि	व्यय राशि	पहचान पत्र	बीमा	गमबूटस	गोगल्स	साईकिल
2014–2015	*38.00*	*35.68*	*91*	*15559*	*648*	*616*	*525*
2015–2016	*40.00*	*39.14*	*222*	*15267*	*510*	*495*	*645*
2016–2017 (माह दिस. 16 तक)	*40.00*	*16.09*		*9100*			

लवण क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं सीमांकन

राज्य में अनेक क्षेत्रों में भूमि की क्षारीयता बढ़ जाने के कारण स्थानीय लोगों/जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार स्तर पर निर्णय उपरान्त लवण उत्पादन की संभावनाओं हेतु सर्वेक्षण कराया जाता है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार क्षेत्र को लवण क्षेत्र घोषित कराया जाता हैं एवं लवण भूमि के उत्पादन योग्य नहीं रहने पर अलवण क्षेत्र घोषित कराने की कार्यवाही की जाती हैं। लवण क्षेत्रों के सीमांकन एवं प्लांटिंग का कार्य करवाया जाता है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में फलौदी स्थित मलार एवं बाप लवण क्षेत्रों के रिक्त पड़े भूखण्डों के सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी कार्य हेतु 7,72,200/– रूपये आवंटित किये गये थे जिसमें 7.51 लाख रूपये व्यय किये जा चुके हैं एवं शेष राशि 28,800/– रूपये महाप्रबन्धक, जिला उद्योग नागौर को नमक मजदूर आवास योजनान्तर्गत निर्मित आवासीय कॉलोनी के नक्शे तैयार कराने हेतु उपलब्ध कराये गये हैं। शेष 2.00 लाख रूपये समर्पित किया जाना प्रस्तावित हैं।

26- टैक्सटाईल से संबंधित योजनाएं

1. Integrated Skill Development Scheme

भारत सरकार द्वारा टैक्सटाईल क्षेत्र में कौशल विकास को ध्यान में रखते हुये एकीकृत कौशल विकास योजना प्रारंभ की गई थी। राज्य में उद्योग विभाग, ट्रेनिंग पार्टनर के सहयोग से इस योजना का संचालन कर रहा है। गत वर्षो में योजना की प्रगति उत्साह जनक रही है। योजना अन्तर्गत प्रति प्रशिक्षणार्थी 10,000/– रूपये केन्द्र सराकर द्वारा व 3300/– रूपये राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। निम्नलिखित तालिका द्वारा योजना अन्तर्गत की गई वर्षवार प्रगति निम्न प्रकार है :–

वर्ष	भौतिक लक्ष्य	प्रगति	
		प्रशिक्षण	नियोजित
2014–2015	*0*	*0*	*0*
2015–2016	2250	2979	2289
2016–2017 *(दिनांक 31.12.2016 तक)*	9500	9252	7603

योजना के प्रावधान अनुसार भारत सरकार को निर्धारित एजेन्सी द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षु का एसेसमेंट किया जाता है।

2. Integrated Processing Development Scheme

वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा टैक्सटाईल इकाईयों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण करने के उद्देश्य से एकीकृत प्रोसेसिंग विकास योजना प्रारंभ की गई। योजनान्तर्गत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 75 करोड़ रूपयें केन्द्र सरकार द्वारा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा व 25 प्रतिशत एस.पी.वी. स्वयं के स्त्रोत तथा बैंक आदि से ऋण/सहायता प्राप्त कर वहन किया जाता है। राज्य में आई.पी.डी.एस. योजनान्तर्गत निम्नलिखित चार परियोजना स्वीकृत की गई है :–

क्र. स.	S.P.V.. का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रू. में)	प्रकार
1.	बालोतरा वॉटर पॉल्यूशन कन्ट्रोल एवं रिसर्च फाउण्टेशन ट्रस्ट, बालोतरा	115.13	अपग्रेडेशन
2.	पाली वॉटर पॉल्यूशन कन्ट्रोल ट्रीटमेंट एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन, पाली	100.00	अपग्रेडेशन
3.	जसोल वाटर पॉल्यूशन कन्ट्रोल एण्ड ट्रीटमेंट ट्रस्ट, जसोल	22.50	अपग्रेडेशन
4.	सांगानेर एनवायरों प्रोजेक्ट, डवलपमेंट, सांगानेर	159.00	ZLD (नया)

टैक्सटाइल पार्क योजना :

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की प्रमुख योजना Scheme Of Integrated Textile Park (SITP) का संचालन राजस्थान में किया जा रहा है। योजनान्तर्गत Common Infrastracture, CETP, Captive Power Plants आदि की स्थापना हेतु परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम 40 करोड़ रूपयें की सहायता दी जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार पार्को को Handholding Supprt प्रदान करती है।

वर्तमान में राज्य में 6 टेक्सटाईल पार्क्स है, जिनकी स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र.स.	टैक्सटाइल पार्क का नाम	स्वीकृति वर्ष	परियोजना लागत (करोड़ रू.)
1.	जयपुर इन्टीग्रेटेड टेक्सक्राफ्ट पार्क, बगरू, जयपुर	2008	60.15
2.	जयपुर टेक्स विविंग पार्क, किशनगढ़, अजमेर	2005	96.81
3.	किशनगढ़ हाईटैक टेक्स पार्क, किशनगढ़, अजमेर	2006	110.58
4.	नेक्सजेन टैक्सटाइल पार्क, पाली	2007	101.40
5.	जयपुर कालीन पार्क, दौसा	2009	109.82
6.	हिमाड़ा इन्टीग्रेटेड टैक्स पार्क, बालोतरा	2011	121.08

टैक्सटाइल गारमेंट सैक्टर

वर्तमान में राज्य में लगभग 2000 लघु इकाइयाँ, जो कि Home Furnishing व्यवसायरत हैं, 330 निर्यातक हैं, जो रेडीमेड गारमेंट व्यवसाय से जुड़े 8 प्रतिशत राज्य की राजधानी जयपुर रेडीमेड गारमेंट के प्रमुख केन्द्र के रूप में उभर रहा है। इसके अतिरिक्त भीलवाडा, पुष्कर एवं जोधपुर भी एपेरल/रेडीमेड गारमेंट केन्द्रो के रूप में अपनी पहचान बना रहे है।

हाल ही में भारत सरकार द्वारा एपेरल/रेडीमेड गारमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष पैकेज घोषित किया है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS 2014) अन्तर्गत टेक्सटाइल क्षेत्र को मिलने वाले लाभ

राज्य का सकारात्मक औद्योगिक वातावरण एवं Ease of Doing Business के सफलतापूर्वक कियान्वयन नें राज्य में औद्योगिक निवेश आकर्षित करनें में काफी सहयोग दिया है। इसी कड़ी में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 में टैक्सटाइल एवं पावरलूम सेक्टर का थ्रस्ट सेक्टर घोषित किया गया है, जो कि मेन्यूफेक्चरिंग क्षेत्र को मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त है। टैक्सटाइल क्षेत्र को मिलने वाले लाभ निम्नानुसार है–

1. पाली, जोधपुर एवं बाड़मेर की पावलूम इकाइयों को 5 वर्ष के लिए 30% वैट का अतिरिक्त लाभ।
2. 5% ब्याज अनुदान सहायता, 25 करोड़ से अधिक निवेश पर 1% अतिरिक्त सहायता एवं टैक्नीकल टैक्सटाइल हेतु 7% ब्याज अनुदान सहायता साथ ही 0.5% ब्याज अनुदान पिछडे व 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान सहायता अतिरिक्त पिछडे क्षेत्र हेतु।
3. Entry टैक्स में 50% की छूट।
4. ZLD, CETP हेतु 20% की दर से पूंजीगत व्यय अनुदान (अधिकतम एक करोड़)
5. VAT के 50% का 5 वर्ष तक पुनर्भरण।
6. विद्युत ड्यूटी में 7 वर्ष हेतु 50% छूट।
7. स्टाम्प ड्यूटी में 7 वर्ष हेतु 50% छूट।
8. भूमि रूपान्तरण शुल्क में 7 वर्ष हेतु 50% छूट।

27- खाद्य प्रसंस्करण मिशन–2012

भारत सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास एवं नवीन इकाईयों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से " **खाद्य प्रसंस्करण मिशन, वर्ष**, 2012 से प्रारम्भ किया गया। भारत सरकार के मिशन अनुसार राज्य में भी राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन लागू किया गया। खाद्य प्रसंस्करण मिशन, के अर्न्तगत निम्न योजनाएँ अधिसूचित की गई :–

1. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के औद्योगिक उन्नयन/नवीन इकाईयों की स्थापना/ आधुनिकीकरण से संबंधित परियोजनाओं के लिये **25% की दर से अधिकतम 50.00** लाख रू. तक अनुदान देय
2. खेत से लेकर उपभोक्ता तक सभी के लिये **कोल्ड चेन श्रृंखला** के तहत सुविधाएं प्रदान करना जिससे कृषि उत्पादों को खराब होने से बचाया जा सके उक्त

योजनान्तर्गत स्थायी पूजी विनियोजन का 35% **अधिकतम 5.00 करोड रु. की सीमा तक अनुदान** ।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी प्रोसेसिंग सेन्टर्स की स्थापना हेतु योग्य पूँजी विनियोजन का **50%** अधिकतम रु 2.50 करोड तक का अनुदान देय।

4. रेफ्रीजरेटेड व्हाइकलस खरीदने हेतु **अधिकतम 50 लाख रु. तक का अनुदान** देय।

5. मीट शाप के आधुनिकीकरण हेतु प्रत्येक शाप **अधिकतम 5.00 लाख रुपये की सीमा तक का अनुदान** देय।

मिशन के तहत प्रदान की जा रही सहायता के अन्तर्गत भारत सरकार का शेयर 75 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का शेयर 25 प्रतिशत था। भारत सरकार द्वारा उक्त पंचवर्षीय योजना (2012–17) के तहत राज्य के लिए **85.98** करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया। उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में 42 इकाईयों को 1509.79 लाख रूपये की सहायता अनुदान स्वीकृत की गई है।

वर्ष 2014–15 में 38 इकाईयों को 1428.55 लाख रू. का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

इस प्रकार योजना में दिनांक 31.03.2015 तक कुल 80 इकाईयों को 2938.34 लाख रू. का अनुदान स्वीकृत किया गया। **वर्ष 2015–16 में योजना बन्द कर दी गई है।**

28- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

राज्य सरकार द्वारा राज्य में सी.एस.आर. के अन्तर्गत निवेश किये जा रहे फण्ड्स के सही उपयोग हेतु सर्वप्रथम राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.12.2014 को शासन सचिव सी.एस.आर. के पद का अतिरिक्त कार्यभार आयुक्त उद्योग विभाग को सौंपा गया। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार ऐसी कम्पनी जिनकी वार्षिक आधार पर नेटवर्थ 500 करोड़ या अधिक अथवा टर्नओवर 1000 करोड़ या अधिक अथवा शुद्ध लाभ 5 करोड़ या अधिक हो, ऐसी कम्पनियों को सीएसआर के तहत उनके विगत 3 वर्षों में शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत विभिन्न कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों में व्यय किये जाने का प्रावधान है।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत गतिविधियों के विस्तार एवं प्रभावपूर्ण व बोधगम्य बनाये जाने हेतु जिसमें राज्य में बजट घोषणाओं को मध्येजनर रखते हुये सम्पूर्ण राज्य में की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों को पूर्णतः ध्यान में रखते हुये इनके अनुरक्षण एवं परीवीक्षण हेतु मैसर्स गिरनार सॉफ्टवेयर प्रा.लि. तथा मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि., उदयपुर के मध्य एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है।

सीएसआर फण्ड के उपयोग की नीति

1. कम्पनी के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत राज्य स्तरीय प्राथमिकताओं में निम्नानुसार निवेश किया जाना है :

- ❖ राजस्थान कल्चर फण्ड में कला, संस्कृति एवं विरासत संरक्षण हेतु योगदान।
- ❖ उद्यम प्रोत्साहन संस्थान में योगदान ताकि हैण्डीक्राफ्ट एवं हैण्डलूम को प्रोत्साहन दिया जा सके एवं कारीगरों व बुनकरों को आजीविका प्रदान की जा सके।
- ❖ जल संरक्षण प्रोजेक्टस या पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण नियन्त्रण हेतु सीईटीपी फण्ड में योगदान।

2. राज्य स्तरीय प्राथमिकताओं के अतिरिक्त शेष सीएसआर फण्ड का उपयोग जिला कलेक्टर्स के माध्यम से निम्न प्राथमिकताओं, जो कि जिलों की आवश्यकताओं पर आधारित हैं, किया जाना हैः-

- ❖ स्वच्छ भारत अभियान के तहत् व्यक्ति विशेष को शौचालय निर्माण हेतु।
- ❖ पंचायत/शहरी स्थानीय निकायों को खुले-शौच से मुक्त किया जाना।
- ❖ आदर्श विद्यालयों को गोद-लेना एवं मिड-ड़े मिल कार्यक्रम को समर्थन देने हेतु।
- ❖ किशोरी लड़कियों हेतु सैनिटरी नैपकिन निर्माण एवं वितरण हेतु।
- ❖ कौशल विकास हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलैंस हेतु।
- ❖ जिले की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु।

राज्य में सी.एस.आर. राशि के समुचित उपयोग हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाये गये प्रभावी कदम :

- ❖ राज्य स्तर पर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में राज्य की कुल 12 कम्पनियों की सीएसआर गतिविधियों हेतु 280.14 करोड़ रूपये की त्रिवर्षीय कार्ययोजना स्वीकृत।
- ❖ दिनांक 03.11.2015 को माननीया मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में आयोजित सी. एस.आर. कॉन्क्लेव में राज्य की 56 कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया।
- ❖ राज्य में कार्यरत 63 कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ व्यक्तिशः बैठक आयोजित कर उनके द्वारा सीएसआर में अब तक किये गये कार्यों एवं भविष्य में सीएसआर क्षेत्र में प्रदान किये जाने वाले योगदान की जानकारी उपलब्ध कराने का निवेदन।
- ❖ प्रमुख बड़ी कम्पनियों यथा केयर्न इण्डिया लि., हिन्दुस्तान यूनीलिवर लि., सैंट गोबेन एवं श्रीराम पिस्टन्स के साथ सम्पर्क।
- ❖ मुम्बई में दिनांक 27 एवं 28 सितम्बर, 2016 को आयोजित ग्लोबल सीएसआर समिट, 2016 में सीएसआर कम्पनियों से सम्पर्क कर उनसे राज्य में सीएसआर क्षेत्र में पहल करने हेतु निवेदन।
- ❖ राज्य में कार्यरत शीर्ष 57 कम्पनियों से आयुक्त उद्योग एवं शासन सचिव, सीएसआर की तरफ से सम्पर्क कर उनकी माननीय उद्योग मंत्री के साथ "एम.जे.एस.ए." फेज-द्वितीय में योगदान करने हेतु व्यक्तिशः बैठक आयोजित करवाने हेतु प्रयास। उक्त 57 कम्पनियों से सम्पर्क हेतु कम्पनी के मुख्यालय जो कि दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता आदि में स्थित है उन स्थानों की यात्रा कर व्यक्तिशः सम्पर्क कर उनसे एम.जे.एस.ए. फेज-द्वितीय चरण में योगदान करने हेतु प्रयास।
- ❖ माननीय उद्योग मंत्री द्वारा पूर्व में ही समस्त जिला प्रभारी मंत्रीगण को एम.जे.एस.ए. की समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करने हेतु निर्देश।
- ❖ आयुक्त उद्योग एवं शासन सचिव, सीएसआर द्वारा समस्त जिला कलेक्टर को एम. जे.एस.ए. फेज-द्वितीय में कॉर्पोरेट्स एवं नॉन कॉर्पोरेट्स को सहयोग हेतु अनुरोध।
- ❖ वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्राप्त सूचनानुसार 2 करोड़ से अधिक Turn Over करने वाले लगभग 38460 कॉरपोरेट्स/वाणिज्यिक संस्थानों की सूची समस्त जिला कलेक्टर एवं महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को एम.जे.एस.ए. फेज-द्वितीय में योगदान प्रदान कराने हेतु प्रेषित।

- CSR Web Portal पर कम्पनियों के Registration एवं उनके द्वारा Project Upload करवाये जाने हेतु दैनिक आधार पर (Day to Day) अधिकतम संख्या में कम्पनियों से सम्पर्क। आज दिनांक तक CSR Web Portal पर कुल 59 Corporate Active User's, 06 Government User's, 09 Implementing Agency एवं 22 Individual User's सम्मिलित है।
- भविष्य में मार्च, 2017 में **"राजस्थान सी.एस.आर. समिट –2017"** का आयोजन प्रस्तावित।
- राजस्थान सी.एस.आर. एक दृष्टि में पुस्तक की रचना।
- यंग इन्टर्न्स द्वारा सी.एस.आर. के हर पहलू का विश्लेषण व उसके विकास की संभावनाओं पर बल।

29- जिला उद्योग केन्द्रों में नये निर्माण/नवीनीकरण के कार्य

सामान्य प्रशासन शाखा में जिला उद्योग केन्द्रों में नये निर्माण/नवीनीकरण के कार्यों हेतु प्रावधित राशि की सार्वजनिक निमाण विभाग द्वारा व्यय की जानी है, जिसका विवरण निम्नानुसार प्रेषित है:–

क्र. सं.	वर्ष	जिला उद्योग केन्द्र का नाम	राशि (लाख रू.में)	व्यय राशि (लाख रू.में)
1.	2014–15	धौलपुर कार्यालय भवन के बाउण्ड्रीवॉल एवं सड़क निर्माण हेतु।	7.41	शून्य
2.	2015–16	जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने तथा धौलपुर में बाउण्ड्रीवाल व सड़क निर्माण व फलौदी में कार्यालय भवन हेतु भूखण्ड क्रय हेतु।	54.94	50.90
3.	2016–17	जिला उद्योग केन्द्र, कोटा, अलवर, बाड़मेर, ब्यावर (अजमेर), उदयपुर, बून्दी, जयपुर (ग्रामीण) एवं बांसवाड़ा में भवनों का नवीनीकरण तथा अजमेर के नव निर्मित भवन में मॉड्यूलर फर्नीचर स्थापित किये जाने हेतु।	129.50	11.50

30- राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विपणन प्रोत्साहन (मार्केटिंग)

राज्य सरकार ने राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों का विपणन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं राज्य सरकार के उपक्रमों में सुनिश्चित करने हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा अनुभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 जारी की गई। इस अधिसूचना के तहत राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को निविदा में भाग लेने पर निम्न सुविधाएं देय हैं :-

1. पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को टेण्डर फार्म आधी कीमत पर दिये जाने का प्रावधान।
2. निविदा में भाग लेने पर आर्नेस्ट मनी 0.5% व सिक्युरिटी मनी 1% दिये जाने का प्रावधान।
3. 99 उत्पादों को आरक्षित सूची में सम्मिलित किया गया है, जिनका विनिर्माण करने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से ही क्रय किया जाना अनिवार्य है।
4. राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को क्रय वरीयता दिये जाने का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत आपूर्ति मात्रा का न्यूनतम दर पर 80% राज्य की औद्योगिक इकाईयों से एवं उसमें 60% राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों एवं इस 60% का 4% SC/ST स्वामित्व वाली इकाईयों से ही क्रय किये जाने का प्रावधान है।

इन नियमों की अवहेलना का प्रकरण किसी औद्योगिक इकाई अथवा औद्योगिक संघ द्वारा कार्यालय आयुक्त, उद्योग के ध्यान में लाया जाता है, तो संबंधित विभाग को नियमों की पालना बाबत लिखा जाता है, फिर भी यदि कोई विभाग इन नियमों की पालना नहीं करता है, तो प्रकरण वित्त विभाग के ध्यान में लाया जाता है।

विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा क्रय किये जाने वाला आईटम अनुसूची प्रथम में सम्मिलित होने पर विभाग का अधिकारी आयुक्त, उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में क्रय समिति की बैठकों में सम्मिलित होगा। इस हेतु विभागीय अधिकारियों को गविभाग आवंटित हैं।

वित्त (सा.वि.ले.नियम) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक–एफ.1(8)वित्त/सा.वि.ले. नि./2011 दिनांक 19.11.2015 के नियम–3 (e) की अनुपालना में उद्योग विभाग के प्रतिनिधि, जो उप निदेशक, सहायक निदेशक, जिला उद्योग अधिकारी तथा महाप्रबंधक को आयुक्त, उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने हेतु शिड्यूल में उल्लेखित उत्पादों की खरीद सम्बन्धित बैठकों में भाग लेने हेतु अधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य स्त्रोत से खरीद किये जाने वाले आईटम्स, जो दस लाख से अधिक के मूल्य के सामानों के क्रय हेतु गठित क्रय समिति की बैठकों में भी उद्योग विभाग के प्रतिनिधि को भी अधिकृत किया गया है।

सूक्ष्म, लघु उद्यमियों के विपणन प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक–प.37/ उद्योग/2/2001 दिनांक 10.11.2003 व 4.4.2013 की पालना में राजसीको द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले स्टील फर्नीचर, टेन्ट एवं त्रिपाल, बारबेड वायर, पॉलिथीन बैग उत्पादों की दरें निर्धारण करने हेतु आयुक्त, उद्योग की अध्यक्षता में दर निर्धारण समिति का गठन किया गया है।

सूक्ष्म, लघु औद्योगिक इकाईयों के विपणन प्रोत्साहन हेतु मेले एवं प्रदर्शनी के आयोजन बाबत राशि उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के पी.डी.खाते में स्थानान्तरित करने हेतु पत्रावली राज्य सरकार को प्रेषित की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में मेले/प्रदर्शनी मद में एक करोड़ रूपये का बजट प्रावधान उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त शहरी एवं ग्रामीण हाट संचालन हेतु 40.00 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई है, जिसे संबंधित जिला उद्योग केन्द्रों को उनकी मांग के अनुसार आवंटित कर दी गई है।

31- ऋण/ब्याज की वसूली

ऋण/ब्याज की वसूली/अपलेखन के आवंटित लक्ष्य व उसके विरूद्ध उपलब्धि का विवरण

(राशि लाख रूपये में)

क्र.सं.	जिला उद्योग केन्द्र	वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17 (दिसम्बर, 2016 तक)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	अजमेर	02.89	00.30	02.97	00.30	2.99	00.00
2.	अलवर	06.20	00.00	06.49	00.00	6.63	00.00
3.	बांसवाडा	04.91	00.04	05.07	00.05	5.15	00.19
4.	बारां	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
5.	बाडमेर	02.15	00.12	03.25	00.02	02.24	00.00
6.	भरतपुर	02.39	00.00	02.46	00.01	02.52	00.00
7.	भीलवाडा	10.55	00.00	10.42	00.00	10.42	00.00
8.	भिवाडी	00.03	00.03	00.00	00.02	00.00	00.00
9.	बीकानेर	00.73	00.00	00.45	00.00	00.48	00.00
10.	बून्दी	00.62	00.47	00.38	00.00	00.38	00.00
11.	चित्तौडगढ	01.13	00.32	01.06	00.11	01.04	00.02
12.	चुरू	05.16	00.00	05.32	00.00	05.53	00.00
13.	दौसा	00.42	00.00	00.42	00.00	00.43	00.00
14.	धौलपुर	00.61	00.00	00.64	00.00	00.81	00.00
15.	डूंगरपुर	00.70	00.00	00.70	00.00	00.70	00.00
16.	हनुमानगढ	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
17.	जयपुर(ग्रामीण)	04.01	00.00	03.65	00.00	03.65	00.00
18.	जयपुर (शहर)	34.70	00.00	36.76	00.74	36.60	00.00
19.	जैसलमेर	00.13	00.02	00.42	00.17	00.08	00.08
20.	जालौर	00.11	00.00	00.11	00.00	00.11	00.00
21.	झालावाड	01.31	00.00	01.34	00.00	01.36	00.00
22.	झुंझुनू	04.63	00.00	04.63	00.00	04.63	00.00
23.	जोधपुर	04.88	00.00	09.33	00.04	09.32	00.00
24.	करौली	01.98	00.00	02.05	00.00	02.12	00.00
25.	कोटा	03.84	00.00	03.77	00.00	03.87	00.00
26.	नागौर	06.66	00.00	06.66	00.00	06.66	00.00
27.	पाली	00.08	00.00	00.66	00.00	00.66	00.00
28.	राजसमन्द	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
29.	सवाईमाधोपुर	01.00	03.40	01.00	00.00	01.03	00.00
30.	सीकर	05.83	00.00	06.01	00.00	06.18	00.00
31.	सिरोही	01.29	00.00	02.03	00.00	01.72	00.00
32.	श्रीगंगानगर	01.05	00.00	01.10	00.00	01.14	00.00
33.	टौंक	01.69	00.00	01.92	00.26	01.92	00.00
34.	उदयपुर	03.52	00.00	03.46	00.05	03.09	00.04
35.	प्रतापगढ़	00.73	00.00	00.74	00.00	01.01	00.00
36.	फलौदी	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	योगः–	**115.93**	**04.70**	**124.97**	**01.77**	**124.47**	**00.33**

कार्यालय आयुक्त, उद्योग एवं जिला उद्योग केन्द्रों में स्वीकृत पद 2016–17
(दिसम्बर, 2016)

क्र.सं.	नाम पद	मुख्यालय	जिला उद्योग केन्द्र
1.	भारतीय प्रशासनिक सेवा	1	0
2.	राजपत्रित उद्योग सेवा	20	100
3.	राजपत्रित लेखा सेवा	5	0
4.	राजपत्रित सांख्यिकी सेवा	1	0
5.	राजपत्रित विधि सेवा	2	0
6.	अधीनस्थ सेवा राजपत्रित	5	79
7.	प्रशासनिक अधिकारी	1	0
8.	अधीनस्थ सेवा	12	130
9.	अधीनस्थ लेखा सेवा	15	37
10.	अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा	4	0
11.	मंत्रालयिक सेवा	127	355
12.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	01	0
13.	सहायक प्रोग्रामर	01	02
14	प्रोग्रामर	01	0
	अन्य सेवा		0
1	सूचना सहायक	2	36
2.	वाहन चालक	5	12
3.	पी.बी.एक्स ऑपरेटर	1	0
4.	जमादार	2	0
5	मशीनमैन	1	0
6.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	34	162
7.	फर्राश	1	0
8.	सफाईकर्ता	2	0
9.	**योगः–**	243	914

उद्योग विभाग में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत्	रिक्त	विशेष विवरण
1.	अतिरिक्त निदेशक	3	2	1	–
2.	संयुक्त निदेशक	16	14	2	3 संयुक्त निदेशक प्रतिनियुक्ति पर
3.	उप निदेशक	42	14	28	शत् प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का नियमों में प्रावधान है। 16–17 की विभागीय पदोन्नति समिति से भरे जाने हैं लेकिन रिक्त पद की स्थिति अनुभवधारक अभ्यर्थी पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध नहीं हैं। डीपीसी होने के पश्चात् भी 12 पद रिक्त पद रहने की सम्भावना है।
4.	सहायक निदेशक	60	41	19	5 पद आरपीएससी के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने है। 3 नव नियुक्ति प्रशिक्षु सहायक निदेशकों ने अभी तक कार्यग्रहण नहीं किया है, 1 सहायक निदेशक की पदोन्नति का प्रकरण पद रिक्त रखते हुए डेफर किया गया है। शेष रिक्त पद वर्ष 16–17 की डीपीसी से भरे जायेंगे।
5.	जिला उद्योग अधिकारी	84	57	27	11 पद सीधी भर्ती यथांश के हैं, जिसकी अर्थना भेजी जा चुकी है। 3 पद सीधी भर्ती से नियुक्त प्रशिक्षु के ज्वाईन नहीं किया। 4 पद अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग हैं। 5 के चयन परिणात बन्द लिफाफे में। शेष 1 पद वर्ष 16–17 की डीपीसी से भरा जायेगा।
6.	आर्थिक अन्वेषक	13	0	13	रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अर्थना राज. अधी. एवं मंत्रा. सेवा चयन बोर्ड को भिजवाई जा चुकी है।
7.	उद्योग प्रसार अधिकारी	94	1	93	रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अर्थना राज. अधी. एवं मंत्रा. सेवा चयन बोर्ड को भिजवाई जा चुकी है।
8.	हाथकर्घा निरीक्षक	9	3	6	रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अर्थना राज. अधी. एवं मंत्रा. सेवा चयन बोर्ड को भिजवाई जा चुकी है।
9.	उद्योग निरीक्षक	19	0	19	रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अर्थना राज. अधी. एवं मंत्रा. सेवा चयन बोर्ड को भिजवाई जा चुकी है।
10.	वित्तीय सलाहकार	1	1	0	–
11.	लेखाधिकारी	2	1	1	–
12.	सहायक लेखाधिकारी I	2	2	0	**स्वीकृत पदों से 2 सहा. लेखा–I अधिक कार्यरत हैं।**
13.	सहायक लेखाधिकारी II	42	23	19	**निदेशक कोष एवं लेखा द्वारा पदस्थापन किया जाता है।**
14.	कनिष्ठ लेखाकार	10	0	10	**निदेशक कोष एवं लेखा द्वारा पदस्थापन किया जाता है।**
15.	उप निदेशक (सांख्यिकी)	1	0	1	–
16.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	2	2	1	–
17.	संगणक	2	1	1	–
18.	उप विधिपरामर्शी	1	0	1	–

19.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0	–
20.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	0	1	DOIT से पदस्थापन किया जाता है।
21.	प्रोग्रामर	1	0	1	DOIT से पदस्थापन किया जाता है।
22.	सहायक प्रोग्रामर	3	2	1	DOIT से पदस्थापन किया जाता है।
23.	सूचना सहायक	38	31	7	DOIT से पदस्थापन किया जाता है।
24.	लवण अधीक्षक	1	0	1	पदोन्नति से भरा जायेगा।
25.	लवण निरीक्षक	6	1	5	रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अर्थना राज. अधी. एवं मंत्रा. सेवा चयन बोर्ड को भिजवाई जा चुकी है।
26.	वाहन चालक	17	5	12	रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अर्थना राज. अधी. एवं मंत्रा. सेवा चयन बोर्ड को भिजवाई जा चुकी है।
27.	वरिष्ठ निजी सहायक	2	1	1	1 पद फरवरी 16 से से.नि. के कारण रिक्त
28.	निजी सहायक	12	9	3	एसटी का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने के कारण रिक्त है।
29.	आशुलिपिक	32	16	16	रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अर्थना राज. अधी. एवं मंत्रा. सेवा चयन बोर्ड को भिजवाई जा चुकी है।
30.	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1	जनवरी, 2016 से से.नि. के कारण रिक्त
31.	कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	13	08	05	रिक्त पद वर्ष 16–17 की डीपीसी से भरे जायेगें।
32.	सहायक कार्यालय अधीक्षक	70	54	16	3 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने के कारण रिक्त है। शेष रिक्त पद वर्ष 16–17 की डीपीसी से भरे जाने हैं।
33.	लिपिक ग्रेड–I	140	121	19	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी नहीं होने के कारण लगभग 9 पद रिक्त हैं। शेष रिक्त पद वर्ष 16–17 की डीपीसी से भरे जाने हैं।
34.	लिपिक ग्रेड–II	212	105	107	वर्ष 16–17 की डीपीसी से लिपिक ग्रेड–I के पद पर पदोन्नति की जानी है। संभावित पदोन्नतियों को दृष्टिगत रखते हुए रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अर्थना राज. अधी. एवं मंत्रा. सेवा भवन बोर्ड एवं राज्य सरकार को भिजवाई गई है।
35.	पी.बी.एक्स.ऑपरेटर	1	0	1	
36.	जमादार	2	0	2	
37.	मशीनमैन	1	0	1	
38.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	196	85	111	विभागीय स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है।
39.	फर्राश	1	1	0	
40.	सफाईकर्ता	2	2	0	
	योग	**1156**	**604**	**552**	

बजट 2014–15

(राशि –लाख रू.)

क.सं.	नाम बजट मद	आय व्ययक अनुमान	संशोधित प्रावधान	व्यय 2014–15
1.	आयोजना	6090.46	5809.42	5157.72
2.	आयोजना भिन्न	4858.27	5457.03	5214.26
3.	केन्द्र प्रवर्तित	–	....	....

बजट 2015–16

(राशि –लाख रू.)

क.सं.	नाम बजट मद	आय व्ययक अनुमान	संशोधित प्रावधान	व्यय 2015–16
1.	आयोजना	12747.05	19223.33	15455.24
2.	आयोजना भिन्न	4749.90	4880.25	4753.79
3.	केन्द्र प्रवर्तित	......	....	....

बजट 2016–17

(राशि –लाख रू.)

क.सं.	नाम बजट मद	आय व्ययक अनुमान	संशोधित प्रावधान	व्यय 2016–17 (दिसम्बर, 2016 तक)
1.	आयोजना	23665.31		13522.70
2.	आयोजना भिन्न	4535.10		3072.46
3.	केन्द्र प्रवर्तित			

विभागीय योजनाओं की प्रगति

वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 (दिसम्बर, 2016 तक)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	इकाई	2014–15		2015–16		2016–17 (दिसम्बर, 2016)	
			लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति
1.	एम.एस.एम.ई/ मेमोरेण्डम	संख्या	15190	18655	15190	38339	15959	60960
2.	नियोजन	संख्या	52270	91831	52270	228840	54888	382366
3.	विनियोजन	करोड रूपये	–	2513.64	0	6291.61	–	10332.88
3.	हाथकरघा							
	महात्मा गॉधी बुनकर बीमा	संख्या	3550	2769	4000	2722	4350	795
4.	औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर							
	(अ) जिला स्तर पर	संख्या	34	38	34	43	34	49
	(ब) पंचायत समिति स्तर पर	संख्या	239	231	248	252	248	189
5.	चर्म प्रशिक्षण	संख्या	190	193	195	199	195	105
6.	उद्यमियता विकास प्रशिक्षण	संख्या	1625	1997	2075	2149	–	–
7.	गृह उद्योग योजना	संख्या	4555	4913	2025	2070	–	–
8.	बाट व माप							
	(अ) राजस्व	लाख रूपये	1079.60	1082.06	1166.30	1189.27	1166.30	540.50
	(ब) चालान	संख्या	1985	1663	1985	520	1230	44
9.	आर्टिजन परिचय पत्र	संख्या	5000	3046	2500	861	–	4034
10.	प्रधानमत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (ऋण वितरण)	संख्या	2033	1570	1053	1720	1100	610
11.	भामाशाह रोजगार सृजन योजना (ऋण वितरण)	संख्या	–	–	11000	7012	11000	2991

प्रमुख कार्यकमों में जिला उद्योग केन्द्र वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां वर्ष 2014–15 प्रगति

क्र.सं.	जिला उद्योग केन्द्र	लघु उद्योग आर्टिजन्स का स्थाठ पंजीयन — पंजीकृत इकाई संख्या		नियोजन संख्या		विनियोजन लाख रू.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम		बाट व माप एक्ट — राजस्व लाख रू.		चालान संख्या		महात्मा गाँधी बुनकर बीमा		गृह उद्योग योजना में प्रशिक्षण संख्या		उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संख्या		औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	अजमेर	760	762	2650	4103	20639.73	62	75	63.00	64.07	140	141	275	132	130	156	75	79	10	10
2.	अलवर	580	359	2065	1921	6470.94	33	29	31.50	31.64	35	35	120	116	175	204	75	112	10	10
3.	बांसवाडा	275	253	970	1017	756.97	31	36	14.00	15.17	35	39	0	0	125	125	50	51	8	8
4.	बारां	120	31	480	198	193.01	22	19	11.00	11.92	70	22	175	140	125	133	50	30	8	3
5.	बाडमेर	200	202	580	1157	7650.07	177	135	16.50	17.72	35	25	160	160	75	96	25	35	9	9
6.	भरतपुर	390	103	1295	670	1442.93	77	65	36.50	38.05	70	51	130	91	150	176	50	51	10	7
7.	भीलवाडा	770	773	2870	3743	8650.45	55	32	32.00	34.18	70	70	180	180	175	182	75	75	12	12
8.	भिवाडी	695	661	2220	3936	24763.00	20	22	30.00	30.26	35	36	0	0	250	250	75	53	7	6
9.	बीकानेर	790	358	2880	1854	4640.23	64	60	39.50	34.79	105	106	250	250	125	132	50	61	6	6
10.	बून्दी	250	86	895	427	321.85	48	48	15.00	15.60	70	70	40	27	100	110	25	25	5	9
11.	चित्तौडगढ	340	340	1085	1960	4917.38	29	35	40.00	40.64	70	80	100	108	125	149	75	106	12	12
12.	चुरू	250	153	750	748	1600.38	27	25	24.10	23.48	35	35	105	58	125	144	25	30	7	7
13.	दौसा	240	55	960	356	262.90	13	11	20.00	20.00	35	57	125	111	150	133	50	54	6	6
14.	धौलपुर	170	104	475	588	3331.52	24	16	12.25	10.37	35	36	0	0	75	90	25	24	5	5
15.	डूंगरपुर	180	139	550	612	396.93	42	35	11.50	11.95	35	35	0	0	100	103	25	46	5	6
16.	हनुमानगढ	200	156	565	945	2584.46	53	31	18.00	19.76	35	11	0	0	100	112	25	52	4	3
17.	जयपुर(ग्रामीण)	860	892	2595	7199	34324.04	78	65	60.00	62.52	105	78	260	108	300	305	25	29	13	13
18.	जयपुर (शहर)	1210	8123	4235	30108	28298.03	112	22	130.00	131.18	175	99	245	96	175	184	75	75	1	1

क.सं.	जिला उद्योग केन्द्र	लघु उद्योग आर्टिजन्स का स्थाइ पंजीयन					प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम		बाट व माप एक्ट				महात्मा गाँधी बुनकर बीमा		गृह उद्योग योजना में प्रशिक्षण संख्या		उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संख्या		औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर	
		पंजीकृत इकाई संख्या		नियोजन संख्या		विनियोजन लाख रू.			राजस्व लाख रू.		चालान संख्या									
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
19.	जैसलमेर	**250**	256	**705**	786	3139.60	**100**	133	**7.50**	6.70	**45**	0	**135**	125	**100**	113	**25**	55	**4**	4
20.	जालौर	**250**	122	**680**	610	3301.72	**38**	27	**14.00**	18.13	**35**	4	**75**	35	**50**	60	**25**	28	**8**	8
21.	झालावाड	**250**	120	**790**	745	826.27	**50**	16	**13.00**	11.67	**35**	4	**255**	214	**125**	125	**25**	77	**7**	7
22.	झुंझुनू	**330**	295	**1125**	1693	5392.20	**38**	17	**27.50**	27.77	**60**	51	**0**	0	**100**	85	**25**	31	**9**	10
23.	जोधपुर	**750**	752	**3000**	5020	9160.89	**62**	66	**90.00**	87.29	**70**	76	**195**	195	**200**	216	**50**	81	**11**	8
24.	करौली	**295**	187	**880**	601	443.02	**110**	57	**8.00**	8.68	**35**	35	**0**	0	**50**	62	**25**	33	**6**	6
25.	कोटा	**780**	425	**3120**	4278	4931.00	**82**	41	**43.50**	40.26	**70**	55	**220**	220	**200**	235	**125**	139	**7**	7
26.	नागौर	**195**	200	**780**	1550	6948.80	**40**	14	**40.00**	35.28	**35**	4	**80**	0	**50**	0	**25**	25	**12**	12
27.	पाली	**630**	465	**2220**	2693	8278.20	**32**	42	**37.50**	38.55	**35**	35	**120**	143	**125**	138	**50**	68	**11**	11
28.	फलौदी	**250**	233	**1000**	652	1077.03	**29**	17	**5.00**	5.56	**35**	35	**0**	0	**0**	0	**25**	27	**0**	0
29.	प्रतापगढ	**170**	163	**565**	430	398.05	**29**	18	**4.50**	4.63	**35**	33	**0**	0	**75**	87	**50**	52	**5**	5
30.	राजसमन्द	**460**	385	**1380**	1574	7506.08	**84**	50	**20.50**	21.97	**60**	60	**0**	0	**125**	100	**25**	36	**8**	8
31.	सवाईमाधोपुर	**265**	168	**830**	590	2993.94	**42**	44	**11.25**	12.54	**35**	29	**120**	120	**200**	203	**75**	77	**6**	6
32.	सीकर	**350**	208	**1115**	1382	5978.42	**31**	24	**28.00**	31.63	**35**	38	**0**	0	**100**	111	**25**	27	**8**	9
33.	सिरोही	**275**	167	**925**	1644	7869.00	**42**	41	**28.25**	23.44	**35**	20	**0**	0	**100**	100	**25**	25	**6**	6
34	श्रीगंगानगर	**330**	178	**1155**	1121	5297.75	**48**	55	**25.25**	22.24	**35**	20	**80**	80	**125**	222	**50**	109	**8**	8
35	टौंक	**220**	128	**790**	949	3251.50	**59**	48	**22.50**	21.27	**35**	46	**105**	60	**100**	118	**25**	38	**7**	8
36	उदयपुर	**860**	653	**3090**	3971	23325.65	**150**	99	**48.50**	51.15	**70**	92	**0**	0	**150**	154	**75**	81	**12**	12
	योग	**15190**	18655	**52270**	91831	251363.94	**2033**	1570	**1079.6**	1082.06	**1985**	1663	**3550**	2769	**4555**	4913	**1625**	1997	**273**	269

परिशिष्ट–5

प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्र वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां वर्ष 2015–16 प्रगति

क.सं.	जिला उद्योग केन्द्र	लघु उद्योग आर्टिजन्स का स्थाई पंजीयन					प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम		बाट व माप एक्ट				महात्मा गाँधी बुनकर बीमा		गृह उद्योग योजना में प्रशिक्षण संख्या		उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संख्या		औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर	
		पंजीकृत इकाई संख्या		नियोजन संख्या		विनियोजन लाख रू.			राजस्व लाख रू.		चालान संख्या									
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	अजमेर	760	1535	2650	9747	37123.74	19	50	69.30	70.51	110	22	193	115	75	84	75	87	9	10
2.	अलवर	580	850	2065	5087	17337.99	55	38	34.65	34.77	40	8	133	112	75	78	75	73	9	6
3.	बांसवाडा	275	130	970	1028	3280.45	20	47	15.40	20.16	35	36	0	0	50	50	100	106	9	10
4.	बारां	120	132	480	699	2033.92	20	41	12.10	13.18	70	0	180	60	25	25	50	60	8	12
5.	बाडमेर	200	593	580	3279	13209.80	40	125	18.15	19.03	35	11	193	160	50	58	50	50	9	12
6.	भरतपुर	390	778	1295	4077	13872.69	30	67	40.15	33.20	70	7	150	75	50	70	75	53	10	11
7.	भीलवाडा	770	2314	2870	15382	48221.28	20	37	35.20	40.79	70	43	203	180	75	85	75	90	12	13
8.	भिवाडी	695	1089	2220	14224	57602.98	20	28	33.01	34.05	35	6	0	0	75	77	75	82	7	5
9.	बीकानेर	790	1445	2880	6479	27231.11	25	42	41.63	36.33	110	1	250	250	75	82	75	67	7	10
10.	बून्दी	250	122	895	631	1339.50	15	35	16.50	16.91	70	15	100	41	50	57	50	49	6	6
11.	चित्तौडगढ	340	353	1085	2979	12863.43	45	43	44.00	49.41	70	70	108	108	75	86	75	102	12	13
12.	चुरू	250	602	750	2560	5698.44	15	41	25.31	25.65	40	0	150	25	50	50	25	28	7	7
13.	दौसा	240	444	960	1694	3171.80	15	22	21.00	18.22	35	27	160	40	75	91	50	51	6	6
14.	धौलपुर	170	259	475	1505	6693.03	15	28	12.91	13.18	35	20	0	0	25	29	25	30	5	5
15.	डूंगरपुर	180	150	550	833	1382.85	25	19	12.65	13.24	35	24	0	0	25	25	25	30	6	9
16.	हनुमानगढ	200	241	565	1023	2605.00	20	36	19.80	21.54	35	0	0	0	25	30	75	64	8	8
17.	जयपुर(ग्रामीण)	860	3106	2595	19149	64053.10	90	51	66.00	74.23	105	4	325	325	150	143	75	78	13	14
18.	जयपुर (शहर)	1210	13363	4235	55451	83417.00	45	56	135.00	148.33	150	22	293	252	50	0	75	0	1	1

क.सं.	जिला उद्योग केन्द्र	लघु उद्योग आर्टिजन्स का स्थाई पंजीयन					प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम		बाट व माप एक्ट				महात्मा गाँधी बुनकर बीमा		गृह उद्योग योजना में प्रशिक्षण संख्या		उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संख्या		औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर	
		पंजीकृत इकाई संख्या		नियोजन संख्या		विनियोजन लाख रू.			राजस्व लाख रू.		चालान संख्या									
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
19.	जैसलमेर	250	161	705	2284	3334.48	50	151	7.80	7.99	45	0	176	0	50	56	25	27	4	4
20.	जालौर	250	286	680	1812	10532.00	20	24	15.40	19.15	35	4	63	48	50	58	50	37	9	9
21.	झालावाड	250	136	790	830	1946.96	25	19	13.65	15.71	35	0	270	200	75	86	50	50	7	7
22.	झुंझुनू	330	487	1125	2527	6586.50	15	31	30.25	30.47	50	10	0	0	25	32	50	46	9	13
23.	जोधपुर	750	2507	3000	20038	58008.28	25	88	99.00	83.33	100	36	200	200	75	80	75	97	7	7
24.	करौली	295	155	880	1030	1914.00	40	59	8.80	7.75	35	4	0	0	50	60	50	57	6	6
25.	कोटा	780	902	3120	6541	18040.00	75	74	45.80	42.25	70	2	260	150	100	113	75	88	6	8
26.	नागौर	195	801	780	5322	16658.00	20	22	42.15	39.57	35	0	130	0	50	0	50	25	12	3
27.	पाली	630	766	2220	13481	7780.00	25	38	41.26	41.35	35	4	143	106	25	55	75	77	11	11
28.	फलौदी	250	136	1000	851	2186.00	15	51	5.50	9.10	35	0	0	0	0	0	25	32	4	5
29.	प्रतापगढ	170	61	565	424	674.51	10	24	4.95	5.97	35	9	0	0	25	25	25	29	6	6
30.	राजसमन्द	460	566	1380	4173	15972.23	25	22	22.55	23.78	60	24	0	0	50	55	25	29	8	8
31.	सवाईमाधोपुर	265	379	830	1585	14138.50	24	63	12.38	12.62	35	1	143	120	100	103	75	77	6	6
32.	सीकर	350	627	1115	4266	14469.75	15	12	30.81	36.25	35	12	0	0	25	25	50	54	9	9
33.	सिरोही	275	349	925	1567	7191.77	50	38	29.68	22.44	35	23	0	0	75	30	75	100	6	7
34.	श्रीगंगानगर	330	564	1155	3501	8476.49	20	54	26.58	24.31	35	20	77	77	50	60	50	56	9	9
35.	टौंक	220	290	790	4444	2244.41	20	50	23.63	26.92	35	27	100	78	75	62	50	88	7	7
36.	उदयपुर	860	1660	3090	8337	37869.45	45	94	53.35	57.58	90	28	0	0	50	50	75	80	12	12
	योग:-	15190	38339	52270	228840	629161.44	1053	1720	1166.30	1189.27	1985	520	4000	2722	2025	2070	2075	2149	282	295

परिशिष्ट–6

प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्र वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां वर्ष 2016–17 (दिसम्बर, 2016 तक) प्रगति

क.सं.	जिला उद्योग केन्द्र	लघु उद्योग आर्टिजन्स का स्थाई पंजीयन					प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम		बाट व माप एक्ट				महात्मा गांधी बुनकर बीमा		भामाशाह रोजगार सृजन योजना		औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर	
		पंजीकृत इकाई संख्या		नियोजन संख्या		विनियोजन लाख रू.			राजस्व (लाख रू.)		चालान संख्या							
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	अजमेर	798	2586	2783	17337	62610.00	30	5	69.30	20.58	110	1	200	62	550	321	9	8
2.	अलवर	609	1357	2168	8011	36930.00	50	9	34.65	14.11	40	0	130	0	400	62	9	6
3.	बांसवाडा	289	240	1019	1082	5019.00	35	8	15.40	10.18	0	0	0	0	300	110	9	5
4.	बारां	126	561	504	4099	3579.00	25	10	12.10	5.11	70	0	150	0	210	24	8	12
5.	बाडमेर	210	988	609	6390	18318.60	50	41	18.15	8.07	35	0	215	75	400	72	9	0
6.	भरतपुर	410	2322	1360	11231	19962.00	33	15	40.15	14.87	70	9	160	38	400	23	10	8
7.	भीलवाडा	809	3559	3014	18705	60987.00	25	26	35.20	23.22	70	3	200	0	360	47	12	9
8.	भिवाडी	730	1583	2331	24345	97193.00	23	7	33.01	16.01	35	0	0	0	250	2	7	0
9.	बीकानेर	830	1970	3024	9664	31548.00	27	27	41.63	20.68	55	4	250	0	400	111	7	5
10.	बून्दी	263	382	940	2281	6916.00	16	17	16.50	8.89	0	4	100	106	200	0	6	7
11.	चित्तौडगढ	357	789	1139	5064	20789.00	50	12	44.00	25.20	70	0	110	75	300	76	12	11
12.	चुरू	263	1198	788	5478	11955.00	25	18	25.31	9.12	0	0	150	10	200	85	7	7
13.	दौसा	252	659	1008	3708	6541.00	16	3	21.00	8.73	0	1	200	72	210	44	6	6
14.	धौलपुर	179	373	499	2003	6247.00	16	12	12.91	4.76	35	2	0	0	170	13	5	4
15.	डूंगरपुर	189	409	578	1833	6005.43	28	16	12.65	5.86	35	11	0	0	170	122	6	8
16.	हनुमानगढ	210	577	593	2954	7750.00	21	26	19.80	9.75	35		0	0	300	7	8	5
17.	जयपुर (ग्रामीण)	903	3693	2725	20396	54009.00	50	5	66.00	35.46	0	0	375	60	500	112	13	10
18.	जयपुर (शहर)	1271	18925	4447	114038	216238.00	50	10	135.00	65.87	0	0	375	50	700	50	1	10

क.सं.	जिला उद्योग केन्द्र	लघु उद्योग आर्टिजन्स का स्थाई पंजीयन					प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम		बाट व माप एक्ट				महात्मा गाँधी बुनकर बीमा		भामाशाह रोजगार सृजन योजना		औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर	
		पंजीकृत इकाई संख्या		नियोजन संख्या		विनियोजन लाख रू.			राजस्व (लाख रू.)		चालान संख्या							
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
19.	जैसलमेर	263	194	740	1320	4089.00	45	90	7.80	3.83	45	0	200	0	60	29	4	3
20.	जालौर	263	490	714	2403	11130.00	22	6	15.40	10.49	35	0	100	0	340	7	9	6
21.	झालावाड	263	255	830	1606	3078.00	26	7	13.65	7.86	35	0	325	0	250	46	7	12
22.	झुंझुनू	347	1092	1181	6652	12268.00	17	4	30.25	16.58	0	0	0	0	350	10	9	8
23.	जोधपुर	788	4178	3150	32705	91246.00	50	14	99.00	33.20	50	0	200	0	550	368	7	5
24.	करौली	310	286	924	1971	3035.00	30	10	8.80	2.67	35	0	0	0	200	63	6	5
25.	कोटा	819	2094	3276	16284	41134.00	50	32	45.80	17.59	70	0	300	50	400	359	6	7
26.	नागौर	205	1237	819	9920	22954.00	22	11	42.15	13.00	0	0	130	0	300	55	12	0
27.	पाली	662	1031	2331	5940	22359.00	22	13	41.26	22.71	35	2	150	0	100	112	11	10
28.	फलौदी	263	172	1050	791	1866.00	15	11	5.50	2.92	35	0	0	0	130	39	4	5
29.	प्रतापगढ	179	119	593	455	770.00	11	8	4.95	2.87	35	0	0	0	210	46	6	5
30.	राजसमन्द	483	911	1449	5896	32034.00	36	18	22.55	11.22	0	0	0	0	200	42	8	9
31.	सवाईमाधोपुर	278	479	872	2223	7449.00	30	41	12.38	6.64	35	0	150	100	450	13	6	5
32.	सीकर	368	1395	1171	7658	23096.00	16	7	30.81	20.28	0	0	0	0	200	8	9	8
33.	सिरोही	289	568	971	1882	6354.00	50	14	29.68	11.84	35	0	0	0	260	246	6	7
34	श्रीगंगानगर	347	1292	1213	6570	14898.00	21	4	26.58	11.63	0	3	80	40	200	46	9	8
35	टौंक	231	607	830	3434	8132.00	22	8	23.63	9.96	35	1	100	57	200	16	7	5
36	उदयपुर	903	2389	3245	16037	54799.00	45	45	53.35	28.81	90	3	0	0	580	205	12	9
	योग	15959	60960	54888	382366	1033288.03	1100	610	1166.30	540.55	1230	44	4350	795	11000		282	238